

अध्याय III

वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाएं

अध्याय III : वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाएं

यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों द्वारा दिए गए राज्य सरकार के लेखों की गुणवत्ता और तय वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के पालन की स्थिति के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है।

वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों की अनुपालना के साथ साथ इस तरह के अनुपालन की स्थिति पर रिपोर्टिंग की पूर्णता, समयबद्धता और गुणवत्ता, वित्तीय रिपोर्ट में प्रस्तुत जानकारी की प्रासंगिकता और विश्वसनीयता को बढ़ाती है।

लेखों की पूर्णता से संबंधित मुद्दे

3.1 राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्राधिकरणों के माध्यम से बजट से इतर उधार

भारत के संविधान का अनुच्छेद 293 (3) यह प्रावधान करता है कि यदि किसी राज्य सरकार पर भारत सरकार का कोई बकाया ऋण या प्रत्याभूति है, तो उसे उधार लेने के लिए भारत सरकार की सहमति अनिवार्य है। इसके अलावा, पन्द्रहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि 2023-24 से 2025-26 तक राज्य सरकारों के लिए सामान्य निवल उधार सीमा (एनबीसी) राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत और बिजली सुधारों के लिए 2024-25 तक अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत तय की जा सकती है।

उपर्युक्त बताई गई निवल उधार सीमा को नजरअंदाज करके, राज्य सरकार ने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (एसपीएसयू)/निगमों/अन्य निकायों के जरिए बजट से इतर उधार लेने से, जबकि ऐसे उधार को चुकाने का दायित्व राज्य का है, राजकोषीय स्वास्थ्य और सरकारी वित्त में पारदर्शिता के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। अब भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के एक वित्तीय वर्ष के लिए उधार की सीमा को बजट से इतर उधार की सीमा तक कम किया जा रहा है।

राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2005 में यह बताया गया था कि राज्य सरकार को सार्वजनिक हित में अपने वित्तीय कामकाज में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करने चाहिए जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष प्रयोजन साधनों और अन्य समान दस्तावेजों से होने वाले बजट से इतर उधार से उत्पन्न होने वाली वास्तविक देनदारियों का प्रकटीकरण करेगी, जहाँ भुगतान का दायित्व राज्य सरकार के आवंटन पर होता है। इसके अतिरिक्त, राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 में यह प्रावधान किया गया था कि बजट दस्तावेजों के साथ विधानमंडल के समक्ष पेश किए जाने वाले 'मध्यम अवधि राजकोषीय पुनर्गठन नीति (एमटीएफआरपी) विवरण' में राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और राज्य सरकार के कुल बकाया ऋण¹ के संबंध में पाँच-वर्षीय रोलिंग लक्ष्य शामिल होंगे।

1. जैसा कि राज्य एफआरबीएम अधिनियम में बताया गया है, राज्य के कुल बकाया कर्ज में आंतरिक कर्ज, भारत सरकार से ऋण और अग्रिम, छोटी बचतें, भविष्य निधि इत्यादि, आरक्षित निधि और जमाएं सम्मिलित हैं।

वर्ष 2024-25 के लिए, एमटीएफपी के तहत ऋण को जीएसडीपी का 35.97 प्रतिशत और एफआरबीएम अधिनियम के तहत 38.20 प्रतिशत के रूप में लक्षित किया गया था। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने 2024-25 के दौरान राज्य के लिए ₹ 59,073 करोड़ की उधार सीमा (अनुमानित जीएसडीपी का 3.5 प्रतिशत) निर्धारित की थी।

राजस्थान सरकार ने वर्ष 2024-25 के अपने बजट में किसी भी बजट से इतर उधार का प्रकटीकरण नहीं किया है। इसके अलावा, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निगमों/अन्य निकायों से एकत्र की गई सूचना और राज्य सरकार के प्रासंगिक स्वीकृति आदेशों की जांच से पता चला कि राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्राधिकरणों के माध्यम से बजट से इतर ₹ 9410 करोड़ के ऋण लिए, जैसा कि तालिका 3.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1: 31 मार्च 2025 को बजट से इतर उधार का विवरण

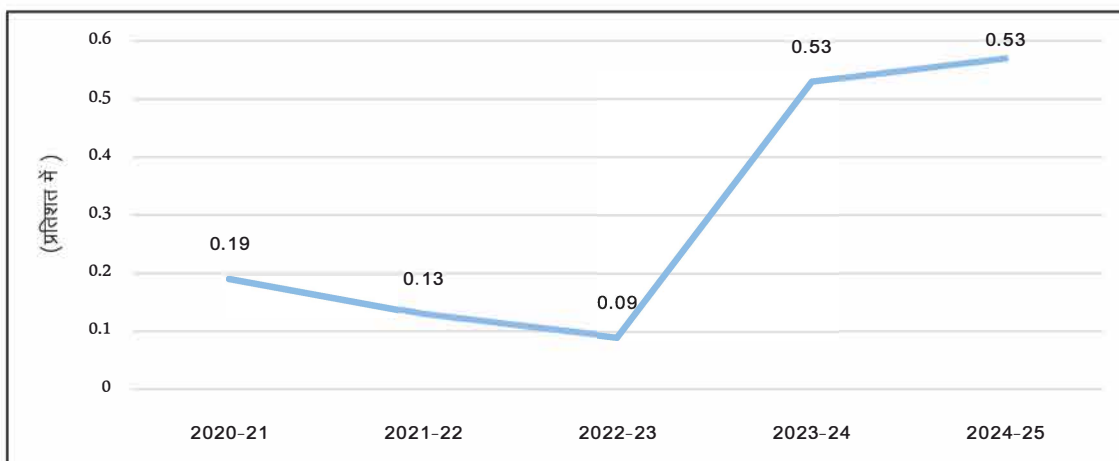
(₹ करोड़ में)

सरकार की ओर से उधार लेने वाले संस्थान	बजट से इतर उधार का वर्ष	उधार देने वाली वित्तीय संस्था	स्वीकृत ऋण	वितरित ऋण	ऋण का उद्देश्य	31 मार्च 2025 को बकाया ऋण
राजस्थान जल आपूर्ति एवं सीवरेज निगम	2021-22 से 2024-25	आवास और शहरी विकास निगम लि., बैंक ऑफ महाराष्ट्र	9,410	9,410	जल जीवन मिशन में राज्यांश	9,044.58

स्रोत: संबंधित संस्थानों द्वारा प्रदत्त जानकारी

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल बकाया बजट से इतर उधार चार्ट 3.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: 31 मार्च 2025 को GSDP के प्रतिशत के रूप में बकाया बजट इतर उधार



तालिका 3.2: 2024-25 के दौरान ब्याज के भुगतान और मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	संस्थानों के नाम	मूलधन के पुनर्भुगतान हेतु सहायता	ब्याज के भुगतान हेतु सहायता
		राशि	राशि
1	आरडब्लूएसएससी	365.42	694.70

स्रोत: संबंधित संस्थानों द्वारा प्रदत्त जानकारी

1979 में स्थापित राजस्थान जल आपूर्ति और सीवरेज निगम (आरडब्लूएसएससी) का उद्देश्य राजस्थान में जल आपूर्ति एवं सीवरेज और सीवेज ट्रीटमेंट के लिए योजनाओं को तैयार करना, लागू करना, बढ़ावा देना और वित्तीय सहायता करना था। राज्य सरकार ने अभी तक जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के कार्य

आरडब्लूएसएससी को हस्तांतरित नहीं किए हैं, इसलिए यह अकार्यशील है। यद्यपि, जल जीवन मिशन के संचालन दिशानिर्देश (दिसंबर 2019) और भारत सरकार के संशोधित दिशानिर्देश (मई 2023) के अनुसार, जल जीवन मिशन का राज्यांश राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था, जिसके लिए बजट में आवश्यक बजटीय प्रावधान किया जाना था।

हालाँकि, यह देखा गया कि राजस्थान सरकार ने 2021-25 की अवधि के दौरान ₹ 10,167.51 करोड़ की प्रत्याभूति प्रदान की, जिसके समक्ष आरडब्लूएसएससी ने हुडको और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से ₹ 9,410 करोड़ का ऋण लिया और जल जीवन मिशन (जेजेएम) के राज्यांश के रूप में ₹ 11,120.12 करोड़² मिशन के एसएनए स्वाते में हस्तांतरित किए।

इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि आरडब्लूएसएससी ने पिछले तीन वर्षों में इन ऋण के समक्ष ₹ 1,579.95 करोड़ (₹ 365.99 करोड़: 2022-23, ₹ 519.26 करोड़: 2023-24 और ₹ 694.70 करोड़: 2024-25) का ब्याज और 2024-25 के दौरान ₹ 365.42 करोड़ का मूलधन चुकाया गया।

यहां यह उल्लेखनीय है कि यह पुनर्भुगतान 2022-25 के दौरान ₹ 1213.26 करोड़³ के संग्रहीत जल उपयोगकर्ता शुल्क और राजस्थान सरकार द्वारा आरडब्लूएसएससी को हस्तांतरित किए गए ₹ 377.29 करोड़⁴ के सहायतार्थ अनुदान से किया गया था। यह भी पाया गया कि राज्य सरकार ने शून्य भुगतान वाउचर द्वारा आरडब्लूएसएससी के ब्याज सहित जमा स्वाते में ₹ 2,243.86 करोड़ की राशि हस्तांतरित की।

यह संकेत करता है कि ब्याज और मूलधन का पुनर्भुगतान राज्य सरकार द्वारा जल उपयोगकर्ता शुल्क, सहायतार्थ अनुदान और बजट शीर्ष के माध्यम से निधियां हस्तांतरित कर अप्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा है। चूंकि, इस ऋण की देनदारी राजस्थान सरकार के लेखों के स्थान पर आरडब्लूएसएससी के लेखों में दिखाई जा रही है। जो राज्य सरकार की बजट से इतर उधार का निर्माण करती है। राज्य सरकार जेजेएम के तहत जल आपूर्ति योजना को निधियां देने के लिए बाजार से ऋण लेने के लिए आरडब्लूएसएससी का प्रयोग सिर्फ एक माध्यम के रूप में कर रही है। इस तरह, राज्य सरकार पर ऋण का भार उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण तरीके से कम दिखाया जा रहा है।

आरडब्लूएसएससी ने स्वीकार किया (नवंबर 2024) कि वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार, संग्रहीत जल उपयोगकर्ता शुल्क निगम के पीडी स्वाते में जमा किए जा रहे हैं और उसी का उपयोग ऋण पुनर्भुगतान के लिए किया जा रहा है। हुडको, बैंक ऑफ महाराष्ट्र तथा राजस्थान पॉवर फाइनेंस एंड फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड से आरडब्लूएसएससी द्वारा लिए गए ₹ 9,690 करोड़ के ऋण के संबंध में, विभाग ने अवगत कराया (दिसंबर 2025) कि आरडब्लूएसएससी अपने स्तर पर जेजेएम के राज्यांश को पूरा करने के लिए ऋण के माध्यम से निधियां जुटा रहा है।

तथापि, जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के स्वामित्व वाली जल आपूर्ति योजनाओं से उपयोगकर्ता शुल्क वसूला जा रहा है जो राज्य की समेकित निधि में जमा की जानी चाहिए थी।

2. 2021-22: ₹ 841.43 करोड़, 2022-23: ₹ 2671.91 करोड़, 2023-24: ₹ 3361.67 करोड़. और 2024-25: ₹ 4245.12 करोड़

3. 2022-23: ₹ 518.91 करोड़ 2023-24: ₹ 365.51 करोड़ एवं 2024-25: ₹ 328.84 करोड़

4. 2022-23: ₹ 2.11 करोड़: 2023-24: ₹ 0.34 करोड़: और 2024-25: ₹ 365.51 करोड़

इस संदर्भ में, प्रधान सचिव, वित्त ने सूचित किया (फरवरी 2026) कि राज्य सरकार ने इस वर्ष आरडब्ल्यूएसएससी को निधियाँ, कार्य और कार्यक्षमता को चरणबद्ध तरीके से हस्तांतरित करने के उपाय शुरू किए हैं। यह भी सूचित किया गया कि विभिन्न पदों के 144 अभियांत्रिकी पद आरडब्ल्यूएसएससी को स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्राधिकार के साथ जनवरी 2026 में स्थानांतरित किए गए हैं। इसके अलावा, कुछ जल आपूर्ति योजनाएँ, जो पहले सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अंतर्गत थीं, उन्हें भी जनवरी 2026 में आरडब्ल्यूएसएससी को स्थानांतरित किया गया है और राज्य सरकार निधियाँ, कार्य और कार्यक्षमता को आरडब्ल्यूएसएससी को स्थानांतरित करने के प्रति सकारात्मक है।

चूंकि आरडब्ल्यूएसएससी के संचालन में संस्थागत व्यवस्थाओं/सुधारों की पहल राज्य सरकार द्वारा 2025-26 में की गई है, इसके परिणामों का मूल्यांकन आगामी वर्षों में लेखापरीक्षा द्वारा किया जाएगा।

मुख्य अंतर्दृष्टियाँ:

1. ऋण स्थिरता जोखिम: हालांकि यह बजट से इतर है, दायित्व पुनर्भुगतान की जिम्मेदारी अंततः राज्य सरकार पर ही रहती है।
2. उधारी सीमा पर प्रभाव: भारत सरकार अब ऐसे बजट से इतर उधार को ध्यान में रखते हुए निवल उधार सीमा को समायोजित करती है।

31 मार्च 2025 को ₹ 9,044.58 करोड़ की बकाया बजट से इतर उधार राज्य की एक महत्वपूर्ण और बढ़ती हुई वित्तीय जोखिम को दर्शाती है। ये उधार, भले ही आरडब्ल्यूएसएससी के लेखों में दर्ज किये गए हों, लेकिन इनको मूल रूप से भुगतान राज्य के बजटीय समर्थन, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की योजनाओं से जुड़े जल उपयोगकर्ता शुल्क, और सहायता अनुदान हस्तांतरण के माध्यम से किया जाता है।

इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप राज्य के वास्तविक ऋण का कम मूल्यांकन होता है और एफआरबीएम् ढांचे के तहत परिकल्पित राजकोषीय पारदर्शिता कमजोर होती है और एफआरबीएम् ढांचे के तहत परिकल्पित वित्तीय पारदर्शिता को कमजोर कर देता है। इन प्रणालियों पर निरंतर निर्भरता भविष्य में ऋण लेने की क्षमता को सीमित कर सकती है और वास्तविक ऋण स्थिरता की स्थिति को अस्पष्ट कर सकती है जब तक की इन्हें पूरी तरह से बजट और मध्यम अवधि के राजकोषीय नियोजन में एकीकृत नहीं किया जाता।

3.2 सरकार की अनुमोचित देनदारियां

अनुमोचित देनदारियां, यथा संग्रहीत उपकर नामित निकायो को हस्तांतरित न करना अथवा नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में कम प्रेषण, इत्यादि के लंबे समय तक वित्तीय और शासन पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं। ये बिना चुकाए गए दायित्व समय के साथ जमा होते जाते हैं, जिससे छिपी हुई देनदारियां बनती हैं जो राज्य की वास्तविक वित्तीय स्थिति को खराब कर देती हैं। इसके अतिरिक्त, उपकर हस्तांतरण में देरी वांछित विकास या कल्याण परिणामों में बाधक बनती है, जिससे ऐसे कर लगाने का मकसद ही समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार, एनपीएस में कम पैसे हस्तांतरित करने से न केवल वैधानिक प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन होता है, बल्कि कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। वर्षों से चली आ रही ऐसी प्रथाओं से विश्वास समाप्त हो सकता है, कानूनी देनदारियां उत्पन्न हो सकती हैं और भविष्य में व्यय दायित्व बढ़ सकता है, जिससे राजकोषीय संभावना कम और राजकोषीय स्थिरता कमजोर हो जाती है। ऐसे प्रकरणों पर आगे के अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

3.2.1 अनुम्नोचित ब्याज देनदारियां

सरकार का यह दायित्व है कि वह ब्याज सहित जमा/आरक्षित निधि में जमा रकम पर ब्याज दे और उसका भुगतान करे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि तालिका 3.3 में दर्शाये गए अनुसार 1 अप्रैल 2024 को ब्याज सहित जमा/आरक्षित निधि में रस्से ₹ 5,731.70 करोड़ के शेष पर ₹ 522.91 करोड़ का ब्याज देय था।

तालिका 3.3: ब्याज सहित जमा/आरक्षित निधि के संबंध में अनुम्नोचित ब्याज देनदारी का विवरण

(₹ करोड़ में)						
क्रम. सं.	ब्याज सहित जमा का नाम/ शीर्ष	01 अप्रैल 2024 को आरंभिक शेष	ब्याज की गणना का आधार	देय ब्याज	दत्त ब्याज	अदत्त ब्याज
1.	एमएच 8121-122 राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ)	2,818.03	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित ओवरड्राफ्ट पर दिए जाने वाले 8.46 प्रतिशत की औसत दर पर गणना किया गया ब्याज	312.98	287.26	25.72
2.	एमएच 8121-130 राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ)	857.18		115.07	106.67	8.40
3	एमएच 8121-129 राज्य प्रतिपूर्ति वनरोपण निधि	1,364.04	3.35 प्रतिशत (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा घोषित)	45.70	44.29	1.41
4	परिभाषित अंशदान पेंशन योजना	692.45	सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि पर देय ब्याज 7.10 प्रतिशत की दर से गणना किया गया ब्याज	49.16	0.00	49.16
कुल		5,731.70		522.91	438.22	84.69

स्रोत: वित्त लेख 2024-25

सरकार ने ब्याज सहित जमा पर राशि ₹ 84.69 करोड़ के ब्याज दायित्व का भुगतान नहीं किया था। ब्याज दायित्व का भुगतान न करने से राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा, उस सीमा तक कम दिखाया गया। यह दर्शाता है कि वर्तमान वर्ष में प्रतिबद्ध राजस्व व्यय की स्थगित देनदारी सरकार के राजस्व व्यय पर भविष्य के समय में भार बढ़ा देती है।

जहां कुल कमी देय कुल ब्याज राशि का एक छोटा हिस्सा बनाती है, वहीं परिभाषित योगदान पेंशन योजना में ब्याज का पूर्ण गैर-भुगतान विशेष ध्यान की मांग करता है। ऐसी देयताओं की स्थगित सेवा वर्ष के लिए राजस्व और वित्तीय घाटे को कम दिखाती है और व्यय का बोझ अगले वर्षों में हस्तांतरित कर देती है। यदि निरंतर स्थगन जारी रहता है, तो यह वित्तीय पारदर्शिता को प्रभावित कर सकता है।

3.2.2 नवीन पेंशन योजना के अंशदान का एनएसडीएल को हस्तांतरित न करना

राजस्थान सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से लागू करने की घोषणा की, जिसके कारण राज्य में पदस्थापित अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस) के अधिकारियों को छोड़कर सभी 5,25,713 राज्य सरकार के कर्मचारियों को 01 अप्रैल 2022 से ओपीएस में हस्तांतरित कर दिया गया। 31 मार्च 2022 तक कर्मचारियों के हिस्से की प्राप्ति, सरकार के अंशदान और पेंशन निधि में हस्तांतरण का विवरण **परिशिष्ट 3.1** में दिया गया है।

2021-22 (अप्रैल 2021-मार्च 2022) के दौरान कर्मचारियों के ₹ 2,565.87 करोड़ के अंशदान के समक्ष, ₹1,881.40 करोड़ (जो 2021-22 से संबंधित था) एनएसडीएल को हस्तांतरित कर दिया गया और राज्य कर्मचारियों के एनपीएस अंशदान से संबंधित ₹ 684.47 करोड़ (जनवरी से मार्च 2022) की राशि मार्च

2025 तक एनएसडीएल को हस्तांतरित नहीं की गई और वर्ष 2024-25 के अंत में राज्य के लोक लेखा में पड़ी रही।

इस प्रकार, कर्मचारियों के अंशदान का कम हस्तांतरण और 31 मार्च 2025 तक एनएसडीएल को राज्य सरकार द्वारा ₹ 684.47 करोड़ के मैचिंग अंशदान का हस्तांतरित न होना, राज्य सरकार की लंबित की गई देनदारी है। इसके अलावा, 2024-25 के दौरान हस्तांतरण न की गई रकम पर ₹ 49.16 करोड़ का ब्याज हस्तांतरण न करने से कर्मचारियों के प्रतिफल पर बुरा असर पड़ रहा है और यह राज्य सरकार के लिए ₹ 1,418.10 करोड़ की आस्थगित देनदारी बन गई है।

पेंशन कटौतियों की न्यासी प्रकृति को देखते हुए, इस तरह के स्थगन का कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति कोष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इससे सरकार के लिए एक निहित ब्याज दायित्व उत्पन्न हो सकता है। यद्यपि ये शेष राशियाँ अस्थायी रूप से नकदी प्रवाह के दबाव को कम कर सकती हैं, लेकिन ये वास्तविक राजकोषीय बचत का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं और भविष्य में राजस्व व्यय संबंधी दायित्वों को जन्म दे सकती हैं।

3.2.3 भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर का कम हस्तांतरण

भारत सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाने और लागू करने के लिए भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (रोजगार विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 एवं भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (अधिनियम) जैसे कानून बनाए। राज्य सरकारों द्वारा गठित किए गए भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के संसाधन बढ़ाने के लिए, अधिनियम की धारा 3 में केंद्र/राज्य सरकार के विभागों, अर्ध-सरकारी संगठनों, निजी संगठनों जैसे नियोक्ताओं द्वारा किए गए निर्माण की लागत का दो प्रतिशत से ज्यादा, लेकिन एक प्रतिशत से कम नहीं की दर से उपकर (श्रम उपकर) लगाने का प्रावधान किया गया है।

अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए, राजस्थान सरकार ने राजस्थान भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक (रोजगार विनियमन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2009 बनाए और भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बोर्ड) का गठन किया। राजस्थान सरकार ने राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण निधि (निधि) बनाई, जिसे बोर्ड द्वारा निजी निक्षेप (पीडी) खाते के रूप में चलाया जाना था। भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण उपकर नियम 1998 की धारा 5 (3) के अनुसार, राज्य की समेकित निधि⁵ में जमा किया गया उपकर, जमा होने के 30 दिनों के अंदर निधि में हस्तांतरित किया जाना था।

पिछले पांच वर्षों में उपकर के संग्रहण और बोर्ड को उसके हस्तांतरण का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 3.4: उपकर संग्रहीत करने और बोर्ड को हस्तांतरित करने की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	अहस्तांतरित राशि का प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान संग्रहीत उपकर	कुल	बोर्ड को हस्तांतरित राशि	अहस्तांतरित उपकर का अंतिम शेष (5-6)	बोर्ड द्वारा किया गया व्यय	किए गए व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2020-21	412.82	367.55	780.37*	357.56	367.55	338.81	94.75
2	2021-22	367.55	500.87	868.42	367.55	500.87	154.90	42.14

5 मुख्य शीर्ष 'श्रम और रोजगार' (0230-800-06) के अंतर्गत।

क्र. सं.	वर्ष	अहस्तांतरित राशि का प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान संग्रहीत उपकर	कुल	बोर्ड को हस्तांतरित राशि	अहस्तांतरित उपकर का अंतिम शेष (5-6)	बोर्ड द्वारा किया गया व्यय	किए गए व्यय का प्रतिशत
3	2022-23	500.87	624.32	1125.19	500.87	624.32	170.37	34.01
4	2023-24	624.32	760.04	1384.36	624.32	760.04	297.61	47.67
5	2024-25	760.04	784.48	1544.52	760.04	784.48	450.10	59.22
	कुल				2610.34		1411.78	

* विभाग द्वारा पीडी स्वाते में हस्तांतरित किए बिना प्रत्यक्षतः व्यय की गई ₹55.26 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष के दौरान संग्रहीत उपकर निधि में आगामी वित्तीय वर्ष में हस्तांतरित किया जा रहा था, जो भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण उपकर नियम 1998 की धारा 5 (3) का स्पष्ट उल्लंघन है।

वर्ष के दौरान राशि ₹ 24.44 करोड़ निधि में कम हस्तांतरित की गई। परिणामस्वरूप राज्य की राजस्व प्राप्ति को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया और राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा उस सीमा तक कम दिखाया गया। यह भी देखा गया कि पिछले पांच वर्षों में, बोर्ड ने श्रमिकों के लिए कल्याण योजनाओं पर उपलब्ध निधि ₹ 2,610.34 करोड़ के समक्ष ₹ 1,411.78 करोड़ (54.08 प्रतिशत) व्यय किए, जिससे ₹ 1,198.56 करोड़ का शेष बचा रहा।

विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2025) कि बोर्ड के निजी निक्षेप स्वाते में उपकार की राशि मासिक आधार पर जमा करने तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) के कार्यालय से मासिक उपकार जमा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

संग्रहित उपकर का हस्तांतरण न होना और उपलब्ध निधियों के मुकाबले कम व्यय किया जाना, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा के अभीष्ट उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

3.2.4 राष्ट्रीय/ राज्य खनिज अन्वेषण न्यास निधि

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी)

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) की स्थापना अगस्त 2015 में खान और खनिज विकास और विनियमन (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 की धारा 9सी के तहत की गई थी। इस अधिनियम की धारा 9सी (4) के अनुसार, खनन पट्टा या खनिज रियायत धारक को दूसरी अनुरूची के क्रम में चुकाई गई रॉयल्टी का दो प्रतिशत ट्रस्ट में देना होता है। एनएमईटी नियमों के अनुसार, राज्य सरकार इस अंशदान को संग्रहीत करने, उन्हें मुख्य शीर्ष '8449-123-एनएमईटी जमा' के अंतर्गत लोक लेखे में जमा करने और प्रतिमाह निधि को भारत की समेकित निधि में हस्तांतरित करने के लिए उत्तरदायी है।

2020-21 से 2024-25 के दौरान, इस शीर्ष के अंतर्गत ₹ 512.96 करोड़ जमा किए गए और पूरी राशि राज्य सरकार द्वारा एनएमईटी को हस्तांतरित कर दी गई।

राज्य खनिज अन्वेषण न्यास निधि (एसएमईटी)

राजस्थान सरकार ने 'राज्य खनिज अन्वेषण न्यास' (एसएमईटी) को अधिसूचित किया (सितंबर 2020) और 'खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957' के तहत अनिवार्य प्रावधानों के अनुरूप, राज्य में खनिज संसाधनों के नियोजित विकास तथा उनके अन्वेषण हेतु एसएमईटी की स्थापना की।

तदनुसार, राजस्थान सरकार ने स्वनिज संसाधनों के वित्तपोषण, विकास और उनकी खोज के लिए पीडी खाता संख्या 18400 के तहत एसएमईटी कोष की स्थापना की। एसएमईटी नियम, 2020 के नियम 8 (3) के अनुसार, स्वनिज पट्टे या स्वनिज रियायत के धारकों को पहले पाँच वर्षों के लिए दो प्रतिशत का योगदान देना आवश्यक है, और उसके बाद, राजस्थान लघु स्वनिज रियायत नियम (आरएमएमसीआर), 2017 की अनुसूची II के अनुसार भुगतान की गई रॉयल्टी के 1 प्रतिशत के बराबर राशि का योगदान देना होगा।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान, निधियों के संग्रहण और निजी निक्षेप (पीडी) खाते में हस्तांतरण की वर्ष-वार स्थिति नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत है:

तालिका 3.5: निधि संग्रहीत करने और पीडी खाते में हस्तांतरित करने की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	पीडी खाते का प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान संग्रहीत निधि	कुल (3+4)	पीडी खाते से व्यय	पीडी खाते का अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6	7
1	2020-21	0.00	5.38	5.38	0.00	5.38
2	2021-22	5.38	45.00	50.39	0.00	50.39
3	2022-23	50.39	43.58	93.97	2.56	91.41
4	2023-24	91.41	51.61	143.02	14.44	128.57
5	2024-25	128.57	58.33	186.90	7.86	179.04
	कुल	0.00	203.90		24.86	

राष्ट्रीय स्वनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी) की 2020-21 से 2024-25 के दौरान हुई जमा राशि को वैधानिक प्रावधानों के अनुसार पूरी तरह से भारत की संचित निधि में हस्तांतरित कर दिया गया, जो राज्य स्तर पर प्रक्रियात्मक अनुपालन को दर्शाता है। हालाँकि, राज्य स्वनिज अन्वेषण न्यास (एसएमईटी) के मामले में, पिछले पाँच वर्षों में ₹ 203.90 करोड़ जमा होने के बावजूद, केवल ₹ 24.86 करोड़ (12.19 प्रतिशत) का ही उपयोग किया गया, जिससे 31 मार्च 2025 तक ₹ 179.04 करोड़ की अव्ययित राशि शेष रह गई।

उपयोग का निम्न स्तर यह दर्शाता है कि नियोजित स्वनिज अन्वेषण और विकास का अभीष्ट उद्देश्य, आनुपातिक रूप से ज़मीनी स्तर की गतिविधियों में परिवर्तित नहीं हो पाया है। पीडी खाते में निधियों का लगातार जमा होना, जबकि उसके अनुरूप व्यय न हो रहा हो, परियोजना नियोजन, प्राथमिकीकरण या निष्पादन क्षमता में कमियों का संकेत हो सकता है; जिसके परिणामस्वरूप राज्य में व्यवस्थित स्वनिज अन्वेषण के नीतिगत उद्देश्य की प्राप्ति में विलंब हो सकता है।

3.2.5 राजस्थान गौ संरक्षण और संवर्धन निधि में कम हस्तांतरण

राजस्थान सरकार ने मार्च 2016 में यह अधिसूचना जारी की थी कि गौ और गौ-वंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए (अधिभार) राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 3 के तहत स्टाम्प कर पर दस प्रतिशत अधिभार लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, गोपालन विभाग, राजस्थान सरकार ने 'राजस्थान गौ संरक्षण और संवर्धन निधि' (निधि) का गठन किया (नवंबर 2016) और इस निधि के प्रशासन के लिए 'राजस्थान गौ संरक्षण और संवर्धन निधि' नियम, 2016 (नियम) बनाए, जिनमें अक्टूबर 2021 में संशोधन किया गया।

इसके अतिरिक्त, राजस्थान सरकार ने राजस्थान मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत लगाए गए मूल्य वर्धित कर पर अधिभार लगाया, जिसकी आय का उपयोग भी गौ और गौ-वंश की सुरक्षा और विकास के उद्देश्य के लिए किया जाना था।

नियमों के अनुसार, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम⁶ और राजस्थान मूल्य वर्धित कर अधिनियम⁷ के तहत उद्ग्रहीत और संग्रहित किया गया अधिभार पशुपालन⁸ के मुख्य शीर्ष को नामे कर निधि⁹ में हस्तांतरित किया जाना था। इस निधि का मुख्य उद्देश्य गायों की सुरक्षा और विकास करना तथा गौशालाओं और कांजी घरों के लिए स्थायी संरचना का निर्माण करना था। इसके अतिरिक्त, निधि में प्राप्त राशि का एक प्रतिशत गोपालन विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वर्चों के लिए व्यय किया जा सकता था।

पिछले पांच वर्षों में अधिभार के संग्रहण और निधि में हस्तांतरण की वर्ष-वार स्थिति नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत है।

तालिका 3.6: उपकर/अधिभार के संग्रहण और निधि में हस्तांतरण की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	वर्ष के आरंभ में अहस्तांतरित राशि	वर्ष के दौरान अधिभार प्राप्तियाँ	कुल (3+4)	निधि में हस्तांतरित की गयी राशि	वर्ष के अंत में अहस्तांतरित राशि (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	2020-21	634.84	735.43	1,370.27	599.12	771.15
2	2021-22	771.15	899.56	1,670.71	647.14	1,023.57
3	2022-23	1,023.57	1,101.28	2,124.85	857.56	1,267.29
4	2023-24	1,267.29	1,227.47	2,494.76	1,226.60	1,268.16
5	2024-25	1,268.16	1,433.51	2,701.67	1,114.60	1,587.07

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख एवं विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना।

यह स्पष्ट है कि हालाँकि गायों के संरक्षण और संवर्धन के मुख्य उद्देश्य से अधिभार नियमित रूप से एकत्रित किया जाता था, फिर भी राज्य सरकार ने नियमों के अनुसार निर्धारित निधि में सम्पूर्ण राशि जमा नहीं की। जमा न की गई शेष राशि लगातार बढ़ती गई है। यह 2020-21 में ₹ 771.15 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2025 तक ₹ 1,587.07 करोड़ हो गई है, जिससे पता चलता है कि लगातार कम राशि जमा की जा रही है। केवल 2024-25 के दौरान, संग्रहित होने के बावजूद ₹ 318.91 करोड़ जमा नहीं किए गए। अधिभार से प्राप्त रकम को निर्धारित निधि में जमा करने के स्थान पर समेकित निधि में ही संचित करना, निर्धारित नियमों के अनुसार नहीं है और इससे तय लक्ष्यों के लिए राशि के उपयोग में विलम्ब होता है। इस प्रकार से कम राशि जमा करने से राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा भी उसी सीमा तक कम दिखाया जाता है, और निर्धारित निधि की रिपोर्टिंग में पारदर्शिता पर भी असर पड़ता है।

3.2.6 राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि में कम हस्तांतरण

राजस्थान सरकार ने 2004 में राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम (अधिनियम) बनाकर राज्य की सड़कों और राज्य सड़क विकास की अन्य परियोजनाओं के विकास के लिए राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि (निधि) का गठन किया। यह अधिनियम मोटर स्प्रिट (जिसे आमतौर पर पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल तेल के नाम से जाना जाता है) की बिक्री पर उपकर उद्ग्रहीत और संग्रहित करने का प्रावधान करता है। यह उपकर पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल पर क्रमशः ₹ 1.50 और ₹ 1.75 प्रति लीटर की दर से उद्ग्रहीत किया जाता है। अधिनियम की धारा 4 में यह बताया गया है कि उद्ग्रहीत उपकर राज्य की

6. शीर्ष 0030-02-800 (मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क-गैर-न्यायिक स्टाम्प-अन्य प्राप्तियाँ) के अंतर्गत।

7. शीर्ष 0040-800 (बिक्री, व्यापार आदि पर कर-अन्य प्राप्तियाँ) के अंतर्गत।

8. शीर्ष 8229-104-02 एवं 8229-104-03 के अंतर्गत।

9. शीर्ष 2403-797 (पशुपालन-आरक्षित निधियों में हस्तांतरण) के अंतर्गत।

समेकित निधि¹⁰(सीएफएस) में जमा किया जाएगा और बाद में समायोजन के माध्यम से निधि में जमा किया जाएगा। इस निधि का गठन लोक लेखों में एक ब्याज रहित आरक्षित निधि के रूप में किया गया था और इसे राज्य सरकार के लेखों में “8225-02-101 राज्य सड़कें और पुल निधि” शीर्षक के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

पिछले पांच वर्षों में उपकर के संग्रहण और निधि में हस्तांतरण की वर्ष-वार स्थिति नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत है:

तालिका 3.7: उपकर के संग्रहण और निधि में हस्तांतरण की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	वर्ष	वर्ष के आरंभ में अहस्तांतरित राशि	वर्ष के दौरान उपकर प्राप्तियाँ	कुल (3+4)	निधि में हस्तांतरित की गयी राशि	अहस्तांतरित राशि का अन्तिम शेष (5-6)	निधि से व्यय (पीडब्ल्यूडी द्वारा)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2020-21	4,397.27	1,176.62	5,573.89	1,011.46	4,562.43	990.68
2	2021-22	4,562.43	1,260.25	5,822.68	2,290.70	3,531.98	1894.70
3	2022-23	3,531.98	1,438.03	4,970.01	3,000.00	1,970.01	3227.22
4	2023-24	1,970.01	1,534.35	3,504.36	3390.12	114.24	3602.09
5	2024-25	114.24	1,627.48	1,741.72	1650.00	91.72	1628.51

राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि पिछले पाँच वर्षों में उपकर संग्रहण और उसके हस्तांतरण के बीच बेहतर तालमेल को दर्शाता है; इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि हस्तांतरित न की गई शेष राशि 2020-21 के ₹ 4,562.43 करोड़ से घटकर 31 मार्च 2025 तक ₹ 91.72 करोड़ रह गई है। वर्ष 2024-25 के दौरान, कोष में किया गया हस्तांतरण (₹ 1,650 करोड़) उपकर संग्रहण (₹ 1,627.48 करोड़) से थोड़ा अधिक रहा, जो पिछले बकाया को निपटाने के प्रयासों को दर्शाता है। इस कोष का उपयोग सड़कों के उन्नयन और सुरक्षा परियोजनाओं के लिए किया गया है; हालाँकि, वर्ष के अंत में ₹ 91.72 करोड़ की राशि का हस्तांतरण अभी भी लंबित होना यह संकेत देता है कि अधिनियम के तहत अनिवार्य किए गए अनुसार, उपकर की राशि को कोष में पूर्ण रूप से और समय पर जमा करने का लक्ष्य अभी तक पूरी तरह से हासिल नहीं किया जा सका है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अवगत कराया (जुलाई 2025) कि निधि का उपयोग राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम जैसी योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं को वित्तपोषित करने और राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कों, ग्रामीण सड़कों को उन्नत करने और सड़क सुरक्षा उपायों को लागू करने जैसी परियोजनाओं के लिए किया गया था। तथापि, 31 मार्च 2025 तक समेकित निधि से निधि में हस्तांतरण के लिए ₹ 91.72 करोड़ की राशि अभी भी शेष थी।

3.2.7 जल संरक्षण उपकर का कम हस्तांतरण

सरकार किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिये उपकर उद्ग्रहीत करती है, और प्राप्तियों को एक पृथक निधि के रूप में रखना होता है, जिसका विशिष्ट लेखांकन किया जाता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसे आगम का व्यय उसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जा रहा है।

बजट भाषण (संशोधित) 2009-10 के अनुसार, राजस्थान वित्त अधिनियम, 2009 में राज्य में जल संरक्षण के उद्देश्य से उपयोग की गई बिजली पर प्रति यूनिट दस पैसे की दर से जल संरक्षण उपकर उद्ग्रहण का

10. बजट शीर्ष 0040-800 (बिक्री, व्यापार आदि पर कर-अन्य प्राप्तियाँ)

प्रावधान किया गया था। इस उपकर का उद्देश्य वर्षा के जल को एकत्र करने के लिए जल संचयन संरचनाएं बनाने, भूजल रिचार्ज करने और लोगों को रोजमर्रा के जीवन में जल संरक्षण की आदत डालने के लिए जागरूक करने हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना था।

तदनुसार, राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 में 8 जुलाई 2009 से उपकर संग्रहण का प्रावधान किया गया। यह उपकर राज्य समेकित निधि¹¹(सीएसएफ) में जमा किया जाता है। जल संरक्षण उपकर निधि (निधि) को लोकलेख में ब्याजरहित आरक्षित निधि¹² के रूप में गठित किया गया था। संग्रहीत उपकर मुख्य शीर्ष 2040-797 (बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर) को नामे करके राज्य समेकित निधि से निधि में अंतरण किया जाता है। पिछले पांच वर्षों में उपकर संग्रहण और निधि में हस्तांतरण की वर्ष-वार स्थिति निम्न तालिका में दी गई है।

तालिका 3.8: उपकर संग्रहण और निधि में अंतरण की वर्ष-वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	अहस्तांतरित राशि का आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान संग्रहीत उपकर	कुल	निधि में अंतरित राशि	अहस्तांतरित राशि का अन्तिम शेष
1	2020-21	1,006.64	196.37	1,203.01	268.84	934.17
2	2021-22	934.17	249.19	1,183.36	196.37	986.99
3	2022-23	986.99	309.62	1,296.61	249.19	1,047.42
4	2023-24	1,047.42	319.98	1,367.40	309.62	1,057.78
5	2024-25	1,057.78	328.98	1,386.76	319.98	1,066.78

पिछले पांच वर्षों में निधि में हस्तांतरित राशि की स्थिति और निधि के उपयोग की स्थिति निम्न तालिका में दी गई है:

तालिका 3.9: निधि की प्राप्तियां और उपयोग की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	निधि का आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान निधि में प्राप्तियां	कुल (3+4)	वर्ष के दौरान उपयोग	निधि का अंतिम शेष (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	2020-21	236.31	268.84	505.15	270.68	234.47
2	2021-22	234.47	196.37	430.84	313.13	117.71
3	2022-23	117.71	249.19	366.90	31.85	335.05
4	2023-24	335.05	309.62	644.67	103.59	541.08
5	2024-25	541.08	319.98	861.06	67.55	793.51
	कुल		1344.00		786.80	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख एवं वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना।

जल संरक्षण उपकर आरोपित किए जाने का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों के लिए राशि की व्यवस्था करना था, और यह आवश्यक था कि इस राशि को एक अलग आरक्षित निधि में जमा किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसका उपयोग सिर्फ इसी काम के लिए हो। लेकिन, 31 मार्च 2025 तक, राज्य के समेकित निधि से जल संरक्षण उपकर निधि में ₹ 1,066.78 करोड़ हस्तांतरित नहीं किए गए थे; पिछले पाँच सालों में यह बिना हस्तांतरित हुआ बकाया लगातार बढ़ता ही गया है। सिर्फ 2024-25 के दौरान ही, ₹ 9 करोड़ कम हस्तांतरित किए गए, जिसकी वजह से राजस्व प्राप्तियाँ ज्यादा दिखाई गईं और राजस्व व राजकोषीय घाटा उसी सीमा तक कम दिखाया गया। इसके अलावा, पिछले पाँच सालों में उपलब्ध ₹ 1,580.31 करोड़ के निधि में से, सिर्फ ₹ 786.80 करोड़ (49.79 प्रतिशत) का ही उपयोग

11. बजट शीर्ष 0043-800-04 (विद्युत पर कर एवं शुल्क- अन्य प्राप्तियाँ)

12. राज्य सरकार के खातों में शीर्ष '8229-200-11' के अंतर्गत वर्गीकृत

किया गया, जिससे ₹ 793.51 करोड़ बकाया शेष रह गया। बिना हस्तांतरण हुए और बिना उपयोग हुए बकाए का लगातार जमा होते रहना यह दर्शाता है कि जल संरक्षण के लिए उपकर से मिली राशि का समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल सुनिश्चित करने का मकसद पूरी तरह से हासिल नहीं हो पाया है।

वित्त विभाग से कम व्यय के कारण अपेक्षित है।

3.2.8 नगरीय विकास उपकर निधि का कम हस्तांतरण

2010-11 के बजट भाषण के अनुसार, राजस्थान वित्त अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्या 3) में उपयोग की गई बिजली पर दस पैसे प्रति यूनिट की दर से नगरीय उपकर (उपकर) लगाने का प्रावधान किया गया था, जिसे राजस्थान वित्त अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्या 15) द्वारा पंद्रह पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया। इस उपकर का उद्देश्य नगर निगम क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटिंग, स्वच्छता, सड़कों के रखरखाव और ऊर्जा संरक्षण जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए था।

तदनुसार, राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम संख्या 12), में 01.04.2010 से उपकर संग्रह का प्रावधान किया गया था। यह उपकर राज्य की समेकित निधि¹³ (सीएफएस) में जमा किया जाना था। राजस्थान नगरीय विकास उपकर निधि (निधि) को लोक लेखे के अंतर्गत एक ब्याज रहित आरक्षित निधि¹⁴ के रूप में गठित किया गया था। संग्रहित किया गया उपकर मुख्य शीर्ष 2217-80-797 (बिक्री, व्यापार आदि पर कर) को नामे करके राज्य की समेकित निधि से निधि में अंतरण किया जाना था।

पिछले पांच वर्षों में उपकर संग्रहण और निधि में हस्तांतरण की वर्ष-वार स्थिति निम्न तालिका में दी गई है।

तालिका 3.10: नगरीय उपकर के संग्रहण और निधि में अंतरण की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	अहस्तांतरित राशि का आरंभिक शेष	विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा संग्रहित उपकर	राज्य की समेकित निधि में जमा	कुल	निधि को अंतरित राशि	राज्य की समेकित निधि में अहस्तांतरित राशि का अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6=3+5	7	8
1	2020-21	1,253.47	168.53	0	1,253.47	138.25	1,115.22
2	2021-22	1,115.22	191.49	300.00	1,415.22	300.00	1,115.22
3	2022-23	1,115.22	231.50	0	1,115.22	0	1,115.22
4	2023-24	1,115.22	240.41	209.68	1,324.90	100.00	1,224.90
5	2024-25	1,224.90	273.90	304.26	1,529.16	358.54	1,170.62
	कुल		1109.83	818.94		903.79	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना।

नगरीय विकास उपकर आरोपित किये जाने का मुख्य उद्देश्य नगर निगम क्षेत्रों में आधारभूत नागरिक सुविधाओं के लिए राशि की व्यवस्था करना था, और इसे एक विशिष्ट आरक्षित निधि में जमा करना जरूरी था, ताकि इसका उपयोग पारदर्शी और निर्धारित उद्देश्य के लिए ही किया जाए। हालाँकि, 2020-21 से 2024-25 के दौरान, डिस्कॉम द्वारा जमा किया गया उपकर (₹ 1,109.83 करोड़) समेकित निधि में जमा की गई रकम (₹ 818.94 करोड़) से ज्यादा था, और ऐसे मामले भी सामने आए जहाँ उपकर जमा नहीं किया गया या फिर शहरी स्थानीय निकायों के बिजली के बकाए के बदले उपकर को समायोजित कर दिया

13. बजट शीर्ष 0043-800-04 (विद्युत पर कर एवं शुल्क- अन्य प्राप्तियां)

14. राज्य सरकार के स्तरों में 'राजस्थान नगरीय विकास निधि शीर्ष '8229-200-(10)' शीर्षक के अंतर्गत वर्गीकृत

गया; ये काम न तो कानून के प्रावधानों के अनुसार हैं और न ही उपकर लगाने के मुख्य उद्देश्य को पूरा करते हैं।

हालांकि 2024-25 के दौरान ₹ 54.28 करोड़ की अतिरिक्त राशि हस्तांतरित की गई थी, फिर भी 31 मार्च 2025 तक फंड में ₹ 1,170.62 करोड़ की राशि हस्तांतरित नहीं हो पाई थी। हस्तांतरित न की गई शेष राशियों का लगातार जमा होना और अनियमित समायोजन, सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में कमजोरी को दर्शाता है; साथ ही, यह इस बात को सुनिश्चित करने में पारदर्शिता को भी प्रभावित करता है कि उपकर से प्राप्त राशि का शहरी विकास के उद्देश्यों के लिए पूर्ण और समय पर उपयोग किया जाए। संग्रहित उपकर का हस्तांतरण न होना, निधि के मूल उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और इसके परिणामस्वरूप राज्य पर उस सीमा तक एक आस्थगित दायित्व भी उत्पन्न हो जाता है।

3.2.9 प्रतिदाय के बकाया प्रकरण

प्रतिदाय प्रकरणों का त्वरित निस्तारण भी विभाग के प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। वर्ष 2024-25 के आरंभ में प्रतिदाय के बकाया प्रकरण, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान स्वीकृत प्रतिदाय और वर्ष 2024-25 के अंत में बकाया प्रकरण जैसा कि विभागों द्वारा बताया गया है, निम्न तालिका में दिए गए हैं।

तालिका 3.11: प्रतिदाय के बकाया प्रकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वाणिज्यिक कर विभाग		परिवहन		पंजीयन एवं मुद्रांक		खान एवं भूविज्ञान-	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया दावे	809	62.99	282	7.06	1,852	21.91	13*	34.22
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	808	114.09	580	3.82	2,659	33.30	05	0.10
3.	वर्ष के दौरान किये गये प्रतिदाय	460	50.15	604	5.13	3,139	33.79	01	0.01
4.	वर्ष के दौरान अस्वीकृत	479	61.11	46	4.04	59	0.56	0	0
5.	वर्ष के अन्त में बकाया प्रकरण	678	65.82	212	1.71	1,313	20.86	17	34.31

स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रदत्त सूचना

* 2023-24 के अंतिम शेष से 4 मामलों का अंतर है।

वित्त विभाग ने अवगत कराया (नवंबर 2025) कि 31 मार्च 2024 तक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के कुल बकाया 1,852 प्रकरणों में से 1,167 प्रकरण वर्ष के दौरान निस्तारित हो गए हैं।

संबंधित विभागों को प्रतिदाय के बकाया प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु कार्यवाही करनी चाहिए जिससे न केवल दावेदारों को लाभ होगा बल्कि इससे देरी से भुगतान किए गए प्रतिदाय के प्रकरणों पर दिये जाने वाले ब्याज के भुगतान से भी सरकार को बचत हो सकेगी।

3.3 सरकारी लेखों के बाहर रही निधियाँ

3.3.1 उपभोक्ता कल्याण निधि

भारत सरकार के पत्र दिनांक 8 फरवरी 2010 के अनुसार, प्रत्येक इच्छुक राज्य में ₹10 करोड़ का एक उपभोक्ता कल्याण कॉर्पस निधि स्थापित करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें 75% राशि भारत सरकार देगी और 25% राज्य का अंश होगा। इस कॉर्पस निधि को ₹ 10 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 20 करोड़ किया गया (सितम्बर 2019)। उपभोक्ता कल्याण निधि का उद्देश्य उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देने और देश में उपभोक्ता आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। उपभोक्ता कल्याण विभाग, भारत सरकार ने 2019 में उपभोक्ता कल्याण निधि दिशानिर्देश जारी किए। दिशानिर्देशों के अनुसार,

राज्य/केंद्र शासित सरकार को एकमुश्त अनुदान पाने के लिए अपना अंश एक गैर-योजनागत, गैर-व्यपगत लोक लेखे में जमा करना होगा।

तदनुसार, राज्य सरकार ने शीर्ष 8342-00-120-(61)-[01] के अंतर्गत राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि हेतु निजी निक्षेप खाता 6445 खोला (जनवरी 2018)। तथा 5 जुलाई 2018 को इस खाते में ₹ 2.50 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई। हालाँकि, भारत सरकार के निर्देशों (सितंबर 2018) के अनुसार, राज्य सरकार ने भारत सरकार से निधि/अंश प्राप्त करने और अपना अंश जमा करने के लिए एक बैंक खाता खोलने की अनुमति दी (सितंबर 2018)। यह अनुमति इस शर्त के साथ दी गई थी कि जैसे ही भारत सरकार से पूरी राशि प्राप्त होगी, ब्याज सहित पूरी राशि पीडी खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी और उसके बाद, बैंक खाता बंद कर दिया जाएगा। उपरोक्त अनुमति के अनुपालन में, राज्य सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक में एक बचत बैंक खाता खोला (सितंबर 2018) और 28 सितंबर 2018 से 26 फरवरी 2021 की अवधि के दौरान, भारत सरकार का ₹ 15 करोड़ का अंश और राज्य का ₹ 5 करोड़ का मेचिंग भाग इस बैंक खाते में जमा किया गया।

लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि राज्य सरकार, राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, लोक लेखों में पीडी खाते के स्थान पर बैंक खाते के माध्यम से राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि का संचालन कर रही है। इसके अतिरिक्त, निधि के उद्देश्य के लिए भारत सरकार से पूरी राशि प्राप्त होने के उपरांत भी राजस्थान सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए खाता बंद नहीं किया गया।

इसके अलावा, राजस्थान उपभोक्ता कल्याण नियम, 2016 के नियम 3 में कहा गया है कि निधि में केन्द्रीय कल्याण निधि से सीड मनी के साथ-साथ जिला मंचों और राज्य आयोग में उपार्जित न्यायालय शुल्क और उपभोक्ता उत्पादों के विनिर्माताओं या सेवा प्रदाताओं द्वारा भुगतान किए जाने के लिए आदेशित कोई जुर्माना जमा किया जाएगा। इस बारे में राजस्थान सरकार ने स्वीकार (नवम्बर 2025) किया और उत्तर दिया कि न्यायालय शुल्क और जुर्माना/दंड के रूप में कोई भी राशि इस निधि में जमा नहीं की गई थी।

उपभोक्ता कल्याण विभाग ने बताया (नवंबर 2025) कि इस निधि पर ब्याज के रूप में ₹ 6.01 करोड़ प्राप्त हुए और 2018-2025 के दौरान केवल ₹ 1.06 करोड़ का उपयोग किया गया।

यह सूचित करता है कि निधि का उपयोग उपभोक्ता कल्याण के वांछित उद्देश्य से नहीं किया गया। इस प्रकार, निधि में केवल भारत सरकार की सीड मनी और राजस्थान सरकार का अंश बैंक खाते में जमा किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि ₹ 20.00 करोड़ का सरकारी धन सरकारी खाते से बाहर पड़ा रहा।

पारदर्शिता से संबंधित मुद्दे

3.4 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में देरी

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (सावि एवं लेनि), 2012 के नियम 68(i) में विहित किया गया है कि सभी वित्तीय स्वीकृति और आदेश जो प्रशासनिक विभाग अपनी वित्तीय शक्तियों के भीतर जारी करता है उन्हें यह बताते हुए कि वे किन शक्तियों के तहत जारी किए गए हैं महालेखाकार को सीधे संसूचित किया जाएगा एवं सा.वि.एवं ले.नि.के नियम 284 और 286 में प्रावधान है कि किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए दिए गए अनुदान के उपयोगिता प्रमाणपत्र विभाग के अधिकारियों को अनुदानग्राही से लेने चाहिए और सत्यापन के पश्चात, स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के अन्दर महालेखाकार (लेखा एवं हक) को भेज देने चाहिए, जब

तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए। राजस्थान में, राज्य सरकार द्वारा सहायतार्थ अनुदान (जीआईए) तीन कार्यात्मक शीर्ष के तहत दिए जाते हैं (i) 12-सहायतार्थ अनुदान (गैर-संवैतन); (ii) 92- सहायतार्थ अनुदान (वेतन) और (iii) 93-पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए सहायतार्थ अनुदान।

वर्ष 2023-24 के दौरान, राजस्थान सरकार ने ₹ 48,327.93 करोड़¹⁵ का सहायतार्थ अनुदान जारी किया, जिसमें से ₹ 38,768.15 करोड़ कार्यात्मक शीर्ष 12 (सहायतार्थ अनुदान, गैर-संवैतन) के तहत तथा ₹ 550.94 करोड़ कार्यात्मक शीर्ष 93 (पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए सहायतार्थ अनुदान) के अंतर्गत जारी किए।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि विभिन्न विभागों ने 31 मार्च 2025 तक महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय में 2010-11 से 2023-24 की अवधि से संबंधित ₹ 427.33 करोड़ के कुल 449 उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए गए। कुल बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों में से ₹ 328.85 करोड़ के 341 उपयोगिता प्रमाणपत्र 'पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए सहायतार्थ अनुदान' से जुड़े थे। कुल बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों के आयुवार लंबित रहने को निम्न तालिका में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 3.12: आयु-वार बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

(₹ करोड़ में)

बकाया वर्ष	आरंभिक शेष		वर्ष के दौरान बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों में वृद्धि		वर्ष के दौरान निस्तारण		प्रस्तुतीकरण के लिये बकाया	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2022-23	770	183.32	1,333	542.26	1208	6148.58	895	1107.25
2023-24	895	1107.25	1797	6887.49	1696	6872.62	996	1122.12
2024-25	996	1122.12	1102	6774.14	1649	7468.92	449	427.34

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा संकलित सूचना

तालिका 3.13: बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों का वर्ष-वार ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र वर्ष*	उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि
2011-12	4	₹ 76000
2012-13	4	0.02
2013-14	6	0.02
2014-15	6	0.03
2018-19	20	0.13
2019-20	3	1.62
2020-21	11	34.28
2021-22	2	0.04
2022-23	3	19.56
2023-24	2	0.22
2024-25	388	371.42
कुल	449	427.34

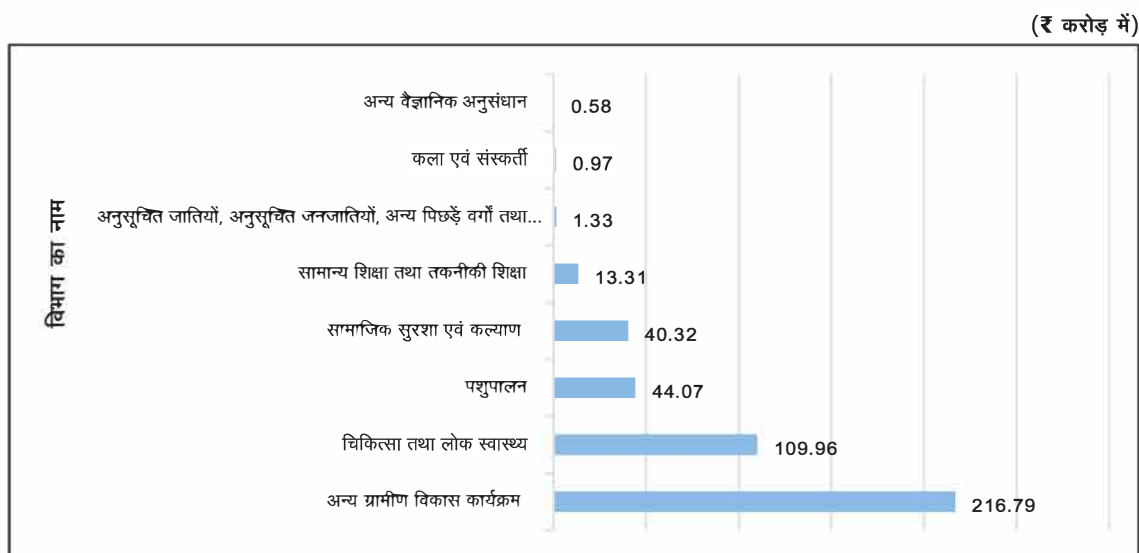
स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय द्वारा संकलित सूचना

* उपर्युक्त उल्लेखित वर्ष "बकाया वर्ष" से संबंधित है, अर्थात वास्तविक निकासी के 12 महीने के पश्चात।

15. सामान्य उद्देश्य के लिये जारी अनुदान के अलावा जैसे कि वेतन एवं स्थापना और राज्य निधि या केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत योजना के लिये व्यय (₹ 9,008.84 करोड़), जिनके लिए सा.वि. एवं ले.नि. के नियम 285 (4) के अनुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, राशि ₹ ₹0.81 करोड़ लघु शीर्ष-192 (₹ 0.40 करोड़) और लघु शीर्ष-196 (₹ 0.41 करोड़) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, जिसके लिए उसी नियम के तहत उपयोगिता प्रमाणपत्रों की आवश्यकता नहीं है।

बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की राशि मुख्य रूप से 'अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम', सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य तथा पशुपालन से संबंधित थी। 31 मार्च 2025 तक बकाया 449 उपयोगिता प्रमाणपत्रों का विभागवार विवरण नीचे चार्ट 3.2 में दिया गया है:

चार्ट 3.2: बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की विभागवार स्थिति



स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा संकलित सूचना

चूँकि उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा न करने से उनके दुरुपयोग का खतरा बना रहता है, इसलिए यह अनिवार्य है कि राज्य सरकार इस पहलू पर बारीकी से नज़र रखे और संबंधित व्यक्तियों को समय पर उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करने के लिए जवाबदेह ठहराए।

पशुपालन विभाग ने बताया (अगस्त 2025) कि लम्पी त्वचा रोग के लाभार्थियों को डीबीटी के ज़रिए वित्तीय सहायता के भुगतान के लिए कोषागार में बिल जमा किए गए थे, लेकिन कोषागार द्वारा ईसीएस नहीं किए जाने के कारण कुछ लाभार्थियों के बिल भुगतान के लिये अभी भी बकाया हैं।

संबंधित विभागों से उपयोगिता प्रमाणपत्रों प्रस्तुत नहीं करने के कारण पूछे गए थे। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित (अगस्त 2025) हैं।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, लेखापरीक्षा ने पाया कि ऊपर दी गई तालिका में दर्शाए गए ₹ 427.34 करोड़ के बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के अतिरिक्त, वर्ष 2017-18 से 2023-24 की अवधि के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत दिए गए सहायतार्थ अनुदान के लिए ₹ 76.74 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी बकाया थे, जिसका सारांश नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 3.14: विभागों से बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विभाग/स्वायत्त निकायों का नाम	अवधि	प्राप्त सहायतार्थ अनुदान	प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्र	बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र
1.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर	2023-24	1.50	1.32	0.18
2.	पशुपालन निदेशालय, जयपुर	2017-18 से 2023-24	176.57	130.17	46.39
3.	अभियांत्रिकी महाविद्यालय, झालावाड़	2021-22	0.85	0.36	0.49

क्रम सं.	विभाग/स्वायत्त निकायों का नाम	अवधि	प्राप्त सहायतार्थ अनुदान	प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्र	बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र
4.	दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरीडोर	2020-21	5.00	1.26	3.74
5.	अभियंत्रिकी महाविद्यालय, भरतपुर	2023 - 24	2.70	1.50	1.20
6.	राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर	2019-20 से 2023-24	29.87	11.21	18.66
7.	राजस्थान पुलिस	2017-18 से 2023-24	7.75	5.61	2.14
8.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम	2020 - 21	10.00	6.06	3.94
	कुल		234.24	157.49	76.74

स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रदत्त सूचना

तथापि, यह सूचना महालेखाकार (लेखा एवं हक) के कार्यालय के पास उपलब्ध नहीं थी क्योंकि विभागों ने सा.वि.एवं ले.नि. के नियम 68 (i), 284 और 286 के नियमों का उल्लंघन करते हुए महालेखाकार (लेखा एवं हक) को स्वीकृति और उपयोगिता प्रमाणपत्रों के बारे में आवश्यक जानकारी नहीं दी थी। यह लंबितता अपर्याप्त वित्तीय रिपोर्टिंग को भी दर्शाता है क्योंकि योजनाओं को लागू करने के लिए दिए गए अनुदान की बड़ी राशि विभागों के पास रखी हुई है और इसको उचित रूप से प्रतिवेदित और लेखांकित नहीं किया गया।

पशुपालन विभाग ने सूचित किया (दिसंबर 2025) कि जे.के. ट्रस्ट को 'वैट्स प्रोडक्शन' के लिए भुगतान न होने के कारण उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए गए।

राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने सूचित किया (अक्टूबर 2025) कि कंप्यूटर खरीदने की प्रक्रिया चल रही है और उपयोगिता प्रमाणपत्र शीघ्र ही प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2025) कि विभाग एनसीआरटीसी से उपयोगिता प्रमाणपत्र संकलित करने का प्रयास कर रहा है।

निर्धारित अवधि से ज्यादा समय तक बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र न केवल वित्तीय जवाबदेही तंत्र को कमजोर करते हैं, किन्तु यह भी दर्शाता है कि विभाग के अधिकारी अनुदान के इच्छित उद्देश्य के लिए समय पर उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रहे हैं।

अनुदानग्राही संस्थान के बारे में जानकारी का अभाव

लेखापरीक्षा तथा लेखा विनियम (संशोधन), 2020 का विनियम 88 यह प्रावधान करता है कि सरकारें और विभागाध्यक्ष जो निकायों अथवा प्राधिकरणों को अनुदानों और/अथवा ऋणों को संस्वीकृत करते हैं वे ऐसे निकायों और प्राधिकरणों जिन्हें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कुल ₹ 10 लाख या उससे अधिक के अनुदानों और/अथवा ऋणों का भुगतान किया गया है, प्रत्येक वर्ष जुलाई की समाप्ति तक (क) सहायता की राशि; (ख) प्रयोजन जिसके लिए सहायता संस्वीकृत की गई थी और; (ग) निकाय अथवा प्राधिकरण का कुल व्यय दर्शाते हुए लेखापरीक्षा कार्यालय को एक विवरण प्रस्तुत करेंगे।

वित्त लेखे 2024-25 के अनुसार, राज्य के कुल व्यय में सहायतार्थ अनुदान का हिस्सा 18.25 प्रतिशत था। वर्ष के दौरान, कुल ₹ 54,819.47 करोड़ के सहायतार्थ अनुदान में से ₹ 20,780.97 करोड़ (37.90 प्रतिशत) की राशि 'अन्य' प्रकार के अनुदानग्राही संस्थानों को संवितरित की गई, जहाँ 'अन्य' का अर्थ विभिन्न विभागों से है, जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 3.15: संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्थानों को वित्तीय सहायता	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1.	कुल अनुदान	39,744.68	49,126.65	49,443.69	48,328.54	54,819.47
2.	अन्य	12,431.88	14,537.75	16,553.25	20,150.18	20,780.97
3.	कुल अनुदान से 'अन्य' का प्रतिशत	31.28	29.59	33.48	41.69	37.90
4.	राज्य का कुल व्यय	1,94,071	2,34,563	2,46,452	2,69,275	3,00,194
5.	राज्य के कुल व्यय से कुल अनुदान का प्रतिशत	20.48	20.94	20.06	17.95	18.25

स्रोत: वित्त लेख

यह देखा जा सकता है कि 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान 'अन्य' को दिया गया अनुदान कुल सहायतार्थ अनुदान के 29.59 प्रतिशत से 41.69 प्रतिशत के बीच था। इस प्रकार, 'अन्य' प्रकार के संस्थानों के लिये सहायतार्थ अनुदान, राज्य के कुल अनुदान और कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो लेखों की पारदर्शिता और सहायतार्थ अनुदान के उपयोग की निगरानी पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

3.5 सारांशीकृत आकस्मिक बिल

जहाँ राशि की अग्रिम आवश्यकता होती है, या जब वे आवश्यक उचित राशि का सही से मुल्यांकन नहीं लगा पाते, तो आहरण और वितरण अधिकारी (डीडीओ) को सारांशीकृत आकस्मिक (एसी) बिलों के माध्यम से, बिना किसी सहायक दस्तावेज़ के राशि निकासी की अनुमति होती है; इसके लिए वे कार्यात्मक शीर्ष को डेबिट करते हैं और यह व्यय कार्यात्मक शीर्ष के तहत एक व्यय के रूप में दिखाया जाता है।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (सा.वि.एवं ले.नि.), 2012 के नियम 219 के अनुसार, सेवा शीर्षों को नामे कर सारांशीकृत आकस्मिक (एसी) बिल तैयार करके राशि आहरित करने के लिये नियंत्रक एवं संवितरण अधिकारियों को अधिकृत किया गया है उन्हें विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिल (अंतिम व्यय के समर्थन में वाउचर) कोषागार के माध्यम से महालेखाकार (लेखा एवं हक) को प्रस्तुत करना होता है। एसी बिल के माध्यम से राशि आहरित करने का लेखा राज्य की समेकित निधि में कार्यात्मक मुख्य शीर्ष के समक्ष रखा जाता है। सा.वि.एवं ले.नि. का नियम 220 (1) में एसी बिलों के माध्यम से धन आहरित करने से तीन महीने¹⁶ की अवधि के भीतर डीसी बिल प्रस्तुत करने का प्रावधान करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने मार्च 2025 तक समायोजन हेतु ₹29.92 करोड़ के 20 एसी बिलों के डीसी बिल प्रस्तुत नहीं किए। बकाया डीसी बिलों की वर्ष-वार जानकारी और उनका आयुवार विश्लेषण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 3.16: एसी बिल के समक्ष डीसी बिल प्रस्तुत करने में वर्ष-वार प्रगति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		वृद्धि		निस्तारण		अंतिम शेष	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2021-22 तक	117	31.37	505	58.50	533	56.68	89	33.19
2022-23	89	33.19	526	78.28	530	90.47	85	21.00
2023-24	85	21.00	876	218.57	764	158.27	197	81.29
2024-25	197	81.29	610	97.30	787	148.67	20	29.92

स्रोत: वित्त लेख

16. विदेशों से मशीनरी/उपकरण और अन्य सामान साख पत्र द्वारा क्रय के प्रकरणों के अलावा, जहाँ डीसी बिल सक्षम अधिकारी को एसी बिल आहरित किये जाने के छः महीने में प्रस्तुत किये जायेंगे।

तालिका 3.17: बकाया एसी बिलों की आयु-वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

बकाया की अवधि	बकाया एसी बिलों की संख्या	राशि
15 वर्ष से अधिक	1	₹ 30,000
10 वर्ष से 15 वर्ष	1	1.04
5 वर्ष से 10 वर्ष	1	0.02
1 वर्ष से 5 वर्ष	07	10.66
0 से 1 वर्ष	10	18.20
योग	20	29.92

स्रोत: वित्त लेख और महालेखाकार (लेखा एवं हक) के कार्यालय द्वारा संकलित सूचना।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राशि ₹ 1.06 करोड़ के तीन एसी बिल पाँच वर्षों से अधिक समय से समायोजन के लिए लंबित रहे।

31 दिसंबर 2025 तक, इन 20 लंबित एसी बिलों में से, केवल 3 एसी बिल समायोजन के लिए लंबित थे, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में विस्तृत है:

तालिका 3.18: बकाया एसी बिलों का विवरण

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	मुख्य शीर्ष / एसी बिलों की संख्या	एसी बिल न. और दिनांक	राशि	विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए विलम्ब के कारण
1	आयुक्त, राहत विभाग, जयपुर	2245 (1)	813/19.03.2013	103.50	विभाग द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया (दिसंबर 2025)।
2	प्राचार्य, डॉ. संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	4210 (1)	45168506/28.03.2023	1008.05	विभाग ने सूचित किया (जून 2025 में) कि संस्थापन कार्य के लिए डीआरएम प्रशिक्षित डॉक्टर और न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नीशियन की तैनाती हेतु राज्य सरकार के साथ पत्राचार किया जा रहा है। डीसी बिल संभवतः जुलाई 2025 तक जमा कर दिया जाएगा।
3	सचिव, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जयपुर।	2051 (7)	299/06.10.2016	2.00	विभाग ने सूचित किया कि दो कर्मचारियों से वसूली की प्रक्रिया चल रही है (जून 2025 में)।

(i) विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत करने में देरी

सा.वि.एवं ले.नि. का नियम 220(1) प्रावधान करता है कि एसी बिलों के माध्यम से निधियों का आहरण करने के तीन माह की अवधि के भीतर डीसी बिल प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा जांच के दौरान, डीसी बिल प्रस्तुत करने में छह महीने से लेकर ग्यारह महीने तक की अत्यधिक देरी देखी गई, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में विस्तृत रूप से बताया गया है:

तालिका 3.19: डीसी बिल प्रस्तुत करने में विलम्ब की मात्रा

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	देरी से प्रस्तुत किये गये डीसी बिलों की संख्या (एसी बिल संख्या के साथ)	विलंब की अवधि (महीनों में)
1.	सचिव, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड	04 (49996996, 50326394, 50667342, 50641870)	10 से 11
2.	राष्ट्रीय केडेट कोर	07 (52550149, 52550112, 48773449, 46582919, 46582912, 52747813, 52085057)	06 से 09
3.	निर्वाचन विभाग	03 (49178743, 49178749, 49086472)	06 से 09

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	देरी से प्रस्तुत किये गये डीसी बिलों की संख्या (एसी बिल संख्या के साथ)	विलंब की अवधि (महीनों में)
4.	राज्यपाल सचिवालय	03 (49834205, 49912408, 50539540)	07 से 08
5.	पुलिस अधीक्षक, अजमेर	01 (49848434)	06
6.	डा. एस.एन. चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर	01 (44966688)	06
7.	उप निदेशक, जिला उद्योग केंद्र, बाड़मेर	02 (48665075, 52696329)	06
8.	कमांडिंग ऑफिसर, राजस्थान गार्ल्स बटालियन, एनसीसी, जयपुर	01 (49884216)	06
	कुल	22	

संबंधित विभागों ने सूचित किया (अक्टूबर-नवंबर 2025 में) कि डीसी बिल जमा करने में हुई देरी का कारण जिला कलेक्टर स्तर पर लगने वाला समय, सामान्य प्रशासन विभाग से प्रतिपूर्ति राशि मिलने में विलंब, वर्ष के अंत में इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) संबंधी समस्याओं के कारण बिलों का अस्वीकृत होना और चुनाव आचार संहिता का लागू होना आदि था।

विस्तृत आकस्मिक बिल जमा करने में देरी या लंबे समय तक जमा न करने से खातों की पूर्णता एवं सटीकता प्रभावित होती है।

(ii) बिना तत्काल आवश्यकता के आकस्मिक बिलों के माध्यम से निकाली गई धनराशि

सामान्य वितीय एवं लेखा नियम, 2012 के नियम 8(2) में यह निर्धारित किया गया है कि निधियों को केवल तभी निकाला जाएगा जब तत्काल भुगतान के लिए आवश्यक हो तथा व्यय या भुगतान सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत हो।

नवंबर 2023 से दिसंबर 2024 के दौरान 59 एसी बिलों की जाँच से पता चला कि 33 मामलों में, आहरित की गई एसी बिल की पूरी राशि चालान के माध्यम से जमा कर दी गई थी; और 26 मामलों में, डीसी बिल जमा करते समय 62.31 प्रतिशत से 99.08 प्रतिशत के मध्य अव्यतित हुई राशि चालान के माध्यम से जमा की गई थी, जैसा कि **परिशिष्ट 3.2** में विस्तार से बताया गया है।

चालानों के माध्यम से सम्पूर्ण धनराशि/ अव्यतित हुई राशि को जमा कराना यह दर्शाता है कि वास्तविक आवश्यकताओं का उचित आंकलन किए बिना सारंशीकृत आकस्मिक बिलों के माध्यम से धनराशि निकाली गई थी।

समायोजन के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन न करना और धनराशि की समय-पूर्व निकासी, डीडीओ स्तर पर कमजोर वितीय अनुशासन और निगरानी को दर्शाता है। अग्रिमों का लंबे समय तक समायोजन न होना न केवल सामान्य वितीय एवं लेखा नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, बल्कि वितीय लेखों की पूर्णता और विश्वसनीयता को भी प्रभावित करता है; क्योंकि, सहायक डीसी बिलों की अनुपस्थिति में, इन लेखों में दर्शाए गए व्यय को अंतिम नहीं माना जा सकता।

3.6 निजी निक्षेप खाते

निजी निक्षेप (पी.डी) खाता संबंधित कोषागार में लोक लेखों के जमा शीर्ष मद के अंतर्गत खोला जाता है। इस तरह के खाते को कोषागार में बैंक खाते की तरह संधारित किया जाता है।

राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 260(1) में यह प्रावधित करता है कि सरकारी लेखों में जमा के लिए कोई राशि तब तक प्राप्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वे किसी वैधानिक प्रावधान या सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के आधार पर सरकार की अभिरक्षा में रखने की आवश्यकता या अनुमति नहीं दी गई हो।

1. राजस्थान में निजी निक्षेप खातों की स्थिति

वर्ष 2020-25 की अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निजी निक्षेप खातों में पड़ी हुई निधियों की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 3.20: वर्ष 2020-25 के दौरान निजी निक्षेप खातों में निधियों का भंडारण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में निजी निक्षेप खातों की संख्या			अंतिम शेष
	सक्रिय	निष्क्रिय	कुल	
2020-21	1,895	33	1,928	14,382.95
2021-22	2,001	52	2,053	18,220.62
2022-23	2,067	133	2,200	14,114.10
2023-24	2,336	115	2,451	13,762.90
2024-25	2,282	75	2,357	15,120.09

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा प्रदत्त सूचना

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि निजी निक्षेप खातों के अंतर्गत अंतिम शेष राशि 2020-21 में 1,928 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 14,382.95 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 2,357 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 15,120.09 करोड़ हो गई है।

वित्तीय वर्ष के अंत में निजी निक्षेप खातों में बड़ी रकम का लगातार जमा रहना, स्वर्च पर विधायी निगरानी को कमजोर करता है; क्योंकि ऐसी शेष राशियाँ समाप्त नहीं होतीं और सामान्य बजटीय प्रक्रिया से बाहर रहती हैं। नियम 260(1) के तहत समय-समय पर समीक्षा और कड़े औचित्य के अभाव में, ऐसी प्रथाएँ पारदर्शिता और राजकोषीय अनुशासन को कमजोर कर सकती हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य सरकार के व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

तालिका 3.21: वर्ष 2024-25 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	व्यक्तिगत जमा खातों में शेष (2024-25)	
1.	आरंभिक शेष (1 अप्रैल 2024)	13,762.90
2.	वर्ष के दौरान वृद्धि	42,836.17
	(i) समेकित निधि से हस्तांतरित धनराशि	26,946.98
	(ii) व्यक्तिगत जमा खातों में सीधे जमा की गई धनराशि	15,889.19
3.	वर्ष के दौरान निकासी	41,478.98
4.	31 मार्च 2025 को अंतिम शेष	15,120.09
मार्च 2025 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों में हुए लेनदेन		
5.	महीने के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों में स्थानांतरित/जमा की गई राशि	6,687.64
	(i) समेकित निधि से हस्तांतरित धनराशि	4,298.17
	(ii) व्यक्तिगत जमा खातों में सीधे जमा की गई धनराशि	2,389.47
6.	माह के दौरान निकासी	6,442.69

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), राजस्थान द्वारा प्रदत्त सूचना

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2024-25 के दौरान, मुख्य शीर्ष 8443-नागरिक जमा-106-निजी निक्षेप के अंतर्गत पीडी खातों में ₹ 42,836.17 करोड़ की राशि हस्तांतरित/जमा की गई, जो

राज्य के कुल व्यय (₹ 3,00,194 करोड़) का 14.27 प्रतिशत है। इस राशि में से ₹ 26,946.98 करोड़ राशि स्वायत्त निकायों को अनुदान सहायता के रूप में संबंधित कोषागार में उनके नाम पर खोले गए निजी निक्षेप खातों में हस्तांतरित तथा जिला स्वनिज फाउंडेशन ट्रस्ट फंड में खनन गतिविधियों से प्राप्त राजस्व, स्वायत्त संस्थाओं की अपनी आय इत्यादि व्यक्तिगत जमा खातों में सीधे जमा किए गए ₹ 15,889.19 करोड़ शामिल हैं।

निजी निक्षेप खातों के शेषों के विश्लेषण से पता चलता है कि:

- i. राशि ₹ 26,946.98 करोड़ में से, ₹ 4,298.17 करोड़ (15.95 प्रतिशत) राशि मार्च 2025 में निजी निक्षेप खातों में स्थानांतरित की गई। राज्य बजट नियमावली(एसबीएम) के अनुसार, बजट अनुदानों के व्यपगत होने से बचने के उद्देश्य से धनराशि निकालना और ऐसी धनराशि को सार्वजनिक खाते या बैंक में जमा करना निषिद्ध है। इसलिए, मार्च माह के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों में इतनी बड़ी राशि का हस्तांतरण राज्य बजट नियमावली के प्रावधान का उल्लंघन है।
- ii. 2,357 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹15,120.09 करोड़ की अप्रयुक्त शेष राशि में 23 निजी निक्षेप खाते (जिनमें प्रत्येक में ₹100 करोड़ और उससे अधिक की शेष राशि है) शामिल हैं, जिनमें ₹8,813.50 करोड़ अर्थात् कुल अप्रयुक्त शेष राशि का 58.29 प्रतिशत हिस्सा **परिशिष्ट 3.3** में दर्शाये अनुसार अनुसार पड़ा हुआ है।
- iii. राज्य सरकार के विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा धारित निजी निक्षेप खातों की जांच में पाया गया कि 31 मार्च 2025 को 247 खातों में “शून्य” शेष राशि थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट 3.4** में दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा इस अप्रयुक्त शेष राशि और निजी निक्षेप खाते से किए गए व्यय का विस्तृत विवरण जारी नहीं किया गया, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि जीआईए से कितनी राशि खर्च की गई और निजी निक्षेप खाते में प्राप्त प्रत्यक्ष राजस्व से कितनी राशि खर्च की गई। इससे यह संकेत मिलता है कि राज्य सरकार द्वारा निजी निक्षेप खातों के संचालन में पर्याप्त पारदर्शिता और व्यय की जवाबदेही बनाए नहीं रखी गई है।

चूंकि पीडी खातों में जमा शेष राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समाप्त नहीं होती, इसलिए ऐसे हस्तांतरणों का प्रभाव यह होता है कि धनराशि समेकित निधि और नियमित बजटीय नियंत्रण ढाँचे से बाहर बनी रहती है।

निजी निक्षेप खातों में प्रतिकूल शेष राशि

निजी निक्षेप खातों के शेषों की जांच के दौरान यह पाया गया कि चार निजी निक्षेप खातों में ऋणात्मक शेष थे। विवरण नीचे दी गई तालिका में उपलब्ध हैं:

तालिका 3.22: व्यक्तिगत जमा खातों में प्रतिकूल शेष राशि

क्र. सं.	कोषालय कोड	कोषालय नाम	निजी निक्षेप खाता	नाम	राशि
1	09	बीकानेर	6689	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आरजीएवीपी), बीकानेर	(-) 39,35,000
2	14	धोलपुर	479	नई पेंशन योजना	(-) 21,333
3	19	जयपुर पीपीओ	473	गृह निर्माण अग्रिम ऋण (पुराना 31.3.04)	(-) 10,57,157
4	30	नागौर	2598	अधिशाली अभियंता, पीएचईडी, डीडवाना	(-) 4,48,522

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा प्रदत्त सुचना।

निजी निक्षेप खातों में ऋणात्मक शेष राशि यह दर्शाती है कि निजी निक्षेप खातों में उपलब्ध शेष राशि से अधिक भुगतान किया गया है, जो कोषागार स्तर पर पर्याप्त अंक मिलान की कमी को दर्शाता है।

लोक लेखों के तहत रखे जाने वाले निजी निक्षेप खातों का उद्देश्य उन निधियों के वास्तविक शेष को दिखाना होता है, जो सरकार की सुरक्षा में किसी विशेष अधिकृत उद्देश्य के लिए रखे गए हैं। जमा खातों के प्रक्रिया में ऋणात्मक शेष का होना एक असामान्य बात है, क्योंकि ऐसे लेखों में अधिक निकासी की आज्ञा नहीं होनी चाहिए। नकारात्मक शेष, मिलान, कोषागार नियंत्रण या लेखांकन समायोजन में कमियों की ओर इशारा करते हैं, और जमा शीर्ष रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं।

निजी निक्षेप खातों में ऋणात्मक शेष राशि के संबंध में 2021-22 में जनलेखा समिति द्वारा 42वीं रिपोर्ट (15वीं विधानसभा) पर की गई सिफारिश के अनुपालन में, विभाग ने सूचित किया था (अगस्त 2020) कि सभी निजी निक्षेप खातों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली से जोड़ दिया गया है, जिसके कारण निजी निक्षेप खातों में शेष राशि से अधिक धनराशि निकालना संभव नहीं होगा। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि इस तरह की प्रणाली के अस्तित्व के बावजूद उपर्युक्त निजी निक्षेप खातों में ऋणात्मक शेष राशि अभी भी किस कारण मौजूद है।

2. निष्क्रिय निजी निक्षेप खाते

राजस्थान राजकोष नियम 2012 के नियम 98 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में कोषालय अधिकारी संचालित पीडी खातों की समीक्षा करेगा और पिछले दो वित्तीय वर्षों से लगातार निष्क्रिय पड़े खातों की सूची वित्त (मार्गोपाय) विभाग को भेजने के लिए तैयार करेगा। लोक लेखा समिति ने अपने 42वें प्रतिवेदन (15वीं विधानसभा) में निष्क्रिय पीडी खातों के संबंध में राजस्थान कोषागार नियमावली, 2012 के प्रावधानों का पालना करने और भविष्य में निष्क्रिय खातों को समय पर बंद करना सुनिश्चित करने की सिफारिश की।

विभिन्न विभागों के पीडी खातों की समीक्षा से पता चला कि 31 मार्च 2025 तक कुल 75 पीडी खाते, जिनमें ₹17.18 करोड़ की राशि पड़ी थी, पिछले दो वर्षों (2023-25) से निष्क्रिय थे, जिनमें से 23 निष्क्रिय पीडी खातों में पिछले दो वर्षों शून्य शेष था। इन पीडी खातों का विवरण **परिशिष्ट 3.5** में उल्लेखित है।

3. स्थानीय निधियों की जमाएं

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 64 में यह प्रावधान है कि जिला परिषद (जिप), पंचायत समिति (पंस) तथा ग्राम पंचायत (ग्रांप) क्रमशः¹⁷ जिप निधि, पंस निधि तथा ग्रांप निधि संधारित करेंगे। इन निधियों में, इस अधिनियम के तहत वसूल किए गए या वसूली योग्य सभी धनराशियाँ सम्मिलित होगी और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्राप्त सभी धनराशियाँ, यथा केंद्रीय वित्त आयोग एवं राज्य सरकार से राज्य वित्त आयोग पारितोषिक के हिस्से के रूप में प्राप्त अनुदान एवं पंचायत की स्वयं का राजस्व, जिसमें कर तथा गैर-कर प्राप्तियाँ शामिल हैं। इसी प्रकार, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 79 में परिकल्पित है कि नगरपालिका को नगरपालिका निधि संधारित करनी होगी। इस अधिनियम के तहत वसूल अथवा वसूली योग्य सभी धनराशि और नगरपालिका द्वारा अन्यथा प्राप्त सभी धनराशि को नगरपालिका निधि¹⁸ में रखा जाना है।

17. मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा राशि, 109-पंचायत निकायों की निधियों के अंतर्गत।

18. मुख्य शीर्ष 8448- स्थानीय निधियों की जमा राशि-102-नगरपालिका निधियों के अंतर्गत।

31 मार्च 2025 तक, पंचायती राज संस्थाओं के स्थानीय कोष तथा नगरपालिका कोष की पिछले पांच वर्षों की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 3.23: स्थानीय निधियों की जमा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निधि का नाम	वर्ष	आरंभिक शेष	प्राप्ति	खर्चा	अंतिम शेष
1	जिला परिषद निधि (8448-109-03)	2020-21	1,300.07	1,318.54	1,128.13	1,490.48
		2021-22	1,490.48	2,327.99	1,951.25	1,867.22
		2022-23	1,867.22	1,883.18	1,986.55	1,763.85
		2023-24	1,763.85	1,737.65	2,097.72	1,403.78
		2024-25	1,403.78	1,861.38	1,546.82	1,718.34
2	पंचायत समिति निधि (8448-109-02)	2020-21	1,172.55	1,797.45	1,545.79	1,424.21
		2021-22	1,424.21	2,640.36	2,210.78	1,853.79
		2022-23	1,853.79	2,452.99	2,160.82	2,145.95
		2023-24	2,145.95	2,144.37	2,742.86	1,547.13
		2024-25	1,547.13	2,606.59	2,241.04	1,912.68
3	नगर पालिका निधि (8448-102)	2020-21	1,442.73	4,591.66	3,614.48	2,419.91
		2021-22	2,419.91	4,662.10	4,492.33	2,589.68
		2022-23	2,589.68	5,712.06	6,315.85	1,985.89
		2023-24	1,985.89	6,818.12	7,513.45	1,290.56
		2024-25	1,290.56	7,761.06	7,537.23	1,514.39

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा प्रदत्त सूचना।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2020-25 के दौरान, जिला परिषद निधि, पंचायत समिति निधि तथा नगर पालिका निधि में बड़ी धनराशि अप्रयुक्त पड़ी रही। 2024-25 के दौरान इन निधियों में क्रमशः ₹1,718.34 करोड़, ₹1,912.68 करोड़ तथा ₹1,514.39 करोड़ अंतिम शेष था।

ग्राम पंचायतें निकटतम अनुसूचित बैंक की शाखा में अपने खाते रखती हैं। ग्राम पंचायतों के इन खातों में पड़ी अप्रयुक्त राशि की स्थिति का रखरखाव पंचायत समिति या जिला परिषद् स्तर पर ठीक से नहीं किया जा रहा। हालांकि, पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों के पास पड़ी अप्रयुक्त निधियों के संकलन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

स्थानीय निधियों में बड़ी मात्रा में शेष धनराशि का लगातार जमा रहना, व्यय नियोजन को सुदृढ़ करने तथा निर्धारित विकासात्मक उद्देश्यों हेतु निधियों के समयबद्ध उपयोग की संभावना को दर्शाता है। चूंकि इन निधियों में वित्त आयोगों से प्राप्त अनुदान तथा विकेंद्रीकृत शासन हेतु अभिप्रेत स्थानीय राजस्व शामिल होते हैं, अतः व्यय में होने वाला विलंब अथवा असंतुलित व्यय स्थानीय सेवाओं के वितरण को प्रभावित कर सकता है।

स्थानीय निकाय विभाग ने सूचित किया (नवंबर 2025) वर्ष के अंत में शेष बची राशि का कारण निविदा प्रक्रिया में लगने वाला समय, परियोजनाओं/योजनाओं की समयावधि के अनुसार भुगतान की अनुसूची, तथा वर्ष के अंत में योजनाओं से संबंधित निधियों की प्राप्ति था।

राज्य सरकार को स्थानीय निधियों और नगरपालिका निधियों के समय पर उपयोग के लिए एक तंत्र स्थापित करने, बंद हो चुकी योजनाओं की अप्रयुक्त शेष राशियों को राजस्व मद में जमा करने और ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में रखी शेष राशियों की निगरानी करने की आवश्यकता है।

3.7 लघु शीर्ष-800 का संचालन

राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद ए.10 प्रावधित करता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जानी चाहिए कि व्यय को उचित कार्यात्मक शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाए और जहाँ तक संभव हो 'अन्य व्यय' की श्रेणी में वर्गीकरण से बचा जाना चाहिए।

अन्य प्राप्तियों और अन्य व्यय से संबंधित मद 800 का उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए, जब लेखों में इसके लिए कोई उपयुक्त 'लघु शीर्ष' उपलब्ध न हो। लघु शीर्ष-800 का नियमित उपयोग लेखों को अस्पष्ट बना देता है और वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, 55 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹18,332.72 करोड़ की राशि, जो कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय का 6.11 प्रतिशत (₹ 2,99,926.71 करोड़) है, को लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत लेखों में वर्गीकृत किया गया था, जबकि वर्ष 2023-24 में ₹14,260.44 करोड़ को लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज किया गया था।

चालू वर्ष के दौरान, ₹ 6,264.32 करोड़ की राशि वाले सात मुख्य शीर्षों के संबंध में, एक बड़ा भाग अर्थात् 50 प्रतिशत या उससे अधिक लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। ऐसे मुख्य शीर्षों का विवरण, जहाँ व्यय ₹ 50 करोड़ से अधिक था और व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 3.24: लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्ति/व्यय	कुल व्यय	प्रतिशत
800-अन्य व्यय				
1.	2211-परिवार कल्याण	2,355.00	4,583.10	51.38
2	2425-सहकारिता	1,439.74	2,588.61	55.62
3	2700-वृहत सिंचाई	1,931.52	2,446.34	78.96
4	3452-पर्यटन	70.29	95.59	73.53
5	4235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत व्यय	73.59	90.59	81.23
6	4885- उद्योगों एवं स्निजों पर अन्य पूंजीगत व्यय	40.67	65.82	61.79
7	5475- अन्य सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय	353.51	505.64	69.91
	योग	6,264.32	10,375.69	

इसी प्रकार, 44 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 12,600.90 करोड़, जो कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,27,250.02 करोड़) का 5.54 प्रतिशत है, को लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, जबकि 2024-25 में लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत बुकिंग ₹ 9,138.35 करोड़ थी।

चालू वर्ष के दौरान, ₹ 5,292.37 करोड़ की राशि वाले सात मुख्य शीर्षों के संबंध में, एक बड़ा भाग अर्थात् 50 प्रतिशत या उससे अधिक लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। ऐसे मुख्य शीर्षों का विवरण, जहाँ व्यय ₹ 50 करोड़ से अधिक था और व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक भाग लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 3.25: लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्ति/व्यय	कुल व्यय	प्रतिशत
800-अन्य प्राप्तियाँ				
1.	0035- कृषि भूमि के अतिरिक्त अचल संपत्ति पर कर	51.86	51.89	99.94
2.	0071- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अंशदान तथा वसूली	95.58	153.99	62.07
3.	0075- विविध सामान्य सेवाएं	3,993.59	5,390.41	74.09
4.	0230- श्रम एवं रोजगार	805.42	829.57	97.09
5.	0406- वानिकी एवं वन्य जीवन	100.34	135.54	74.03

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्ति/व्यय	कुल व्यय	प्रतिशत
6.	0801-उर्जा	183.70	183.70	100.00
7.	1475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	61.88	119.69	51.70
	योग	5,292.37	6,864.79	

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा अनुरक्षित वित्त खाते एवं वीएलसी डेटा।

सर्वग्राही लघु शीर्ष-800 के तहत पर्याप्त मात्रा में राशि का पुस्तांकन वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है और आवंटन प्राथमिकताओं एवं व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को विकृत करती है।

लघु शीर्ष-800 का अविवेकपूर्ण उपयोग

अन्य प्राप्तियों/अन्य व्यय से संबंधित सर्वग्राही लघु शीर्ष -800 का उपयोग केवल उन मामलों में किया जाना है, जहाँ संघ और राज्यों के खातों के मुख्य और लघु शीर्ष (एलएमएमएच) की सूची में संबंधित मुख्य और लघु शीर्ष के अंतर्गत कोई उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया है। उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध होने पर भी लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत प्रविष्टि करने के ऐसे उदाहरण **परिशिष्ट 3.6** में दिए गए विवरण के अनुसार नीचे चर्चा किये गए हैं।

- चार मामलों में रखरखाव एवं मरम्मत/सड़क निर्माण/निर्माण से संबंधित, राज्य सरकार ने 800-अन्य व्यय शीर्ष के अंतर्गत ₹ 3,239.67 करोड़ का प्रावधान किया, जबकि उपयुक्त लघु शीर्ष जैसे: 105-रखरखाव तथा 337- सड़क निर्माण संबंधित मुख्य शीर्ष 3054 एवं 5054 के अंतर्गत उपलब्ध थे।
- चार मामलों में, राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालय तथा छात्रावास भवनों के निर्माण कार्यों के लिए ₹ 195.00 करोड़ लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज किए, जबकि उपयुक्त शीर्ष, जैसे: 277-शिक्षा, उसी मुख्य शीर्ष 4225 के अंतर्गत उपलब्ध था।
- तीन मामलों में, विभिन्न योजनाओं के तहत निर्माण कार्यों के लिए ₹ 50.97 करोड़ की राशि शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज की गई थी, जबकि उपयुक्त लघु शीर्ष जैसे: 051-निर्माण, उसी मुख्य शीर्ष 4217 के अंतर्गत उपलब्ध था।
- तीन मामलों में स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण कार्य से संबंधित, राज्य सरकार ने शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत ₹ 74.91 करोड़ का प्रावधान किया, जबकि स्वास्थ्य केंद्रों के लिए उपयुक्त लघु शीर्ष जैसे: 101, 103 तथा 104 मुख्य शीर्ष 4210 के अंतर्गत उपलब्ध थे।

विशिष्ट लघु शीर्ष उपलब्ध होने के बावजूद, छह विभागों द्वारा ₹ 3,647.87 करोड़ के व्यय का वर्गीकरण सर्वग्राही लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत किया जाना, खातों में व्यय के सही चित्रण के प्रति शिथिलता को दर्शाता है।

इस संबंध में, वित्त विभाग ने सभी डीडीओ/सीसीओ को यह निर्देश भी जारी किया (अगस्त 2022) कि जब एलएमएमएच में उपयुक्त शीर्ष उपलब्ध हो, तो लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत प्रावधान न किया जाए।

पिछले वर्ष की रिपोर्ट के इसी तरह के अनुच्छेद के अनुपालन में, अल्पसंख्यक कार्य विभाग ने (नवंबर 2025 में) सूचित किया है कि “मुख्य शीर्ष 4225-04-800-01-17-पूँजीगत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत व्यय के अंतर्गत, “लघु शीर्ष 800-

अन्य व्यय” के स्थान पर एक नया लघु शीर्ष “लघु शीर्ष 277-शिक्षा ” खोला गया है, और बजट वर्ष 2025-26 से व्यय को सही लघु शीर्ष में दर्ज किया जा रहा है।

मापन से संबंधित मामले

3.8 प्रमुख उचंत तथा डीडीआर शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष

वित्त लेखों में उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शुद्ध शेष राशि दर्शाई जाती है। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष राशि की गणना विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अलग-अलग बकाया डेबिट और क्रेडिट शेष राशि को जोड़कर की जाती है।

सरकारी लेखों में 'उचंत शीर्ष' खोले जाते हैं ताकि उन लेन-देनों को दर्शाया जा सके जिन्हें किसी कारणवश प्रारंभ में उनके अंतिम शीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सकता। इन लेखों के शीर्षों को अन्तिम रूप से माइनस डेबिट या माइनस क्रेडिट द्वारा सम्बन्धित अन्तिम लेखा शीर्षों में स्थानांतरित कर समायोजित किया जाता है। यदि इन राशियों को समायोजित नहीं किया जाता है, तो उचंत शीर्षों के अन्तर्गत शेष राशि संचित हो जाती है और जिससे सरकार की प्राप्तियों और व्ययों का सही चित्रण बाधित होता है।

प्रेषण में वे सभी लेनदेन शामिल होते हैं जो लेखा शीर्षों को समायोजित करते हैं और इन शीर्षों के अंतर्गत डेबिट या क्रेडिट अंततः उसी या किसी अन्य लेखांकन चक्र के भीतर संबंधित क्रेडिट या डेबिट प्रविष्टियों द्वारा समायोजित किए जाते हैं।

पिछले तीन वर्षों के लिए उचंत तथा प्रेषण मुख्य शीर्षों के अंतर्गत सकल आंकड़ों की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

तालिका 3.26: उचंत तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लघु शीर्ष	2022-23		2023-24		2024-25	
	मुख्य शीर्ष 8658 – उचंत						
		डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
1.	101 – पीएओ उचंत	103.92	9.23	94.74	8.81	106.97	10.58
	निवल	डेबिट 94.69		डेबिट 85.93		डेबिट 96.39	
2.	102 – उचंत लेखा-सामान्य	0.37	85.19	0.40	94.74	0.58	145.14
	निवल	क्रेडिट 84.82		क्रेडिट 94.34		क्रेडिट 144.56	
3.	106 – टेलिकम्यूनिकेशन लेखा कार्यालय उचंत	-*	-	-*	-	-*	-
	निवल	डेबिट-*		डेबिट-*		डेबिट-*	
4.	112 – स्रोत पर कर कटौती उचंत	-	(-) 1.62	-	97.62	-	116.26
	निवल	क्रेडिट (-) 1.62		क्रेडिट 97.62		क्रेडिट 116.26	
5.	123 – ए.आई.एस. अधिकारी समूह बीमा योजना	-	0.21	-	0.25	-	0.50
	निवल	क्रेडिट 0.21		क्रेडिट 0.25		क्रेडिट 0.50	
6.	129 – सामग्री स्वरीद निपटान उचंत खाता	-	(-) 3.50	-	(-) 3.50	-	(-) 3.58
	निवल	क्रेडिट (-) 3.50		क्रेडिट (-) 3.50		क्रेडिट (-) 3.58	
7.	139 – जीएसटी- स्रोत पर कर कटौती उचंत	-	57.17	-	66.44	-	52.68
	निवल	क्रेडिट 57.17		क्रेडिट 66.44		क्रेडिट 52.68	
	निवल योग	(क्रेडिट) 42.39		(क्रेडिट) 169.22		(क्रेडिट) 214.03	
	मुख्य शीर्ष 8782- नकद प्रेषण						

क्र. सं.	लघु शीर्ष	2022-23		2023-24		2024-25	
8.	102 — लोक निर्माण प्रेषण	25.40	26.76	25.57	18.48	25.59	17.01
	निवल	क्रेडिट 1.36		डेबिट 7.09		डेबिट 8.58	
9.	103 — वन प्रेषण	0.10	-**	0.07	-	0.07	-
	निवल	डेबिट 0.10		डेबिट 0.07		डेबिट 0.07	
10.	108 — अन्य विभाग प्रेषण	0.03	-	0.03	-		0.03
	निवल	डेबिट 0.03		डेबिट 0.03		डेबिट 0.03	
11.	129 - इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत हस्तांतरण	0.74	-	0.73	-	0.72	-
	निवल	डेबिट 0.74		डेबिट 0.73		डेबिट 0.72	
	निवल योग	(क्रेडिट) 0.49		(डेबिट) 7.92		(डेबिट) 9.40	

* ₹1,000 मात्र ** ₹14,000 मात्र

पिछले तीन वर्षों के लिए प्रमुख उचंत तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत आंकड़ों की स्थिति से पता चलता है कि वित्त लेखों में प्रमुख मद '8658-उचंत लेखे' के अंतर्गत कुल निवल शेष में 2023-24 से 2024-25 तक ₹ 44.81 करोड़ की क्रेडिट शेष वृद्धि दर्ज की गई है।

• वेतन एवं लेखा अधिकारी(पीएओ)-उचंत (एमआईएच 101)

यह लघु शीर्ष केंद्रीय वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्र शासित प्रदेशों के पृथक लेखा अधिकारियों तथा महालेखाकार की पुस्तकों में अंतर-सरकारी लेन-देन के प्रारंभिक अभिलेख के लिए है, जहां दूसरा पक्ष वेतन एवं लेखा अधिकारी होता है। इस लघु शीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक वेतन एवं लेखा अधिकारी के लिए अलग-अलग उप-शीर्ष खोले जाते हैं, जिनके साथ लेन-देन का निपटान किया जाना है। इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया डेबिट शेष उन भुगतानों को दर्शाते हैं जो वेतन एवं लेखा अधिकारी द्वारा दूसरों की ओर से किए गए हैं और जिनकी वसूली अभी बाकी है और क्रेडिट शेष वह राशि दर्शाते हैं जिसका भुगतान अभी बकाया है।

मार्च 2025 के अंत में इस खाते में बकाया डेबिट बैलेंस ₹ 106.97 करोड़ था और क्रेडिट बैलेंस ₹ 10.58 करोड़ था। बकाया डेबिट शेष मुख्य रूप से वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय पेंशन लेखा अधिकारी, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली (₹ 106.02 करोड़) तथा वेतन एवं लेखा अधिकारी (एनएच), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, जयपुर (₹ 0.40 करोड़) से संबंधित है, जबकि क्रेडिट शेष मुख्य रूप से वेतन एवं लेखा अधिकारी, स्नन मंत्रालय (₹ 9.72 करोड़) से संबंधित है। ये शेष वे राशियाँ हैं जो सरकार को भारत सरकार के संबंधित प्राधिकारी से प्राप्त करनी हैं और जो अधिकतर पुराने वर्षों (1960 से पहले से 2024-25) से संबंधित हैं।

• उचंत लेखे-सामान्य (एमआईएच 102)

इस लघु शीर्ष का संचालन महालेखाकार द्वारा उन लेन-देनों में अस्थायी रूप से अंतरों को समायोजित करने के लिए किया जाता है जिन्हें कुछ सूचनाओं/दस्तावेजों जैसे चालान, वाउचर आदि के अभाव में व्यय/प्राप्ति लेखों के अंतिम शीर्ष में शामिल नहीं किया जा सकता है। प्राप्तियाँ क्रेडिट और व्यय इस लेखे को डेबिट किया जाता है और आवश्यक जानकारी प्राप्त होने पर क्रमशः माइनस क्रेडिट और माइनस डेबिट द्वारा इसका निपटान किया जाता है।

मार्च 2025 के अंत में इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया प्रमुख डेबिट शेष राशि सीडीए¹⁹ (पेंशन), इलाहाबाद (₹ 0.05 करोड़) और सीडीए (एससी²⁰), पुणे (₹ 0.34 करोड़) से संबंधित थी।

प्रमुख क्रेडिट शेष राशि (₹ 144.25 करोड़) अन्य विविध उच्चतम शीर्ष (असफल ई-भुगतान) के अंतर्गत दर्शाई गई थी। इस उच्चतम शीर्ष के तहत बकाया राशि का निपटारा न होने के कारण, राजस्व व्यय ₹144.25 करोड़ से अधिक दिखाया गया है, जिससे राजस्व घाटा भी इसी राशि से बढ़ गया।

• स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) उच्चतम-(एमआईएच 112)

इस लघु शीर्ष का उद्देश्य स्रोत पर आयकर कटौती से प्राप्तियों को समायोजित करना है। स्रोत पर आयकर कटौती से प्राप्तियों को लघु शीर्ष 112-टीडीएस उच्चतम के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 8658-उच्चतम लेखे में जमा किया जाता है। इन जमाओं का निपटान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत तक किया जाना चाहिए और आयकर विभाग को जमा किया जाना चाहिए।

तथापि, 31 मार्च 2025 तक इस शीर्ष के अंतर्गत ₹ 116.26 करोड़ की बकाया राशि थी, जिसको अभी तक आयकर विभाग को जमा नहीं किया गया था।

इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया राशियों का निपटान न होने से राज्य सरकार के विभिन्न लेखा शीर्षों (जो वर्ष-दर-वर्ष आगे ले जाए जाते हैं) के अंतर्गत प्राप्तियों/व्यय के आंकड़ों और शेष राशियों की सटीकता प्रभावित होती है।

• ऋण, जमा और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत प्रतिकूल शेष

प्रतिकूल शेष राशि उन खाता शीर्षों में होने वाली ऋणात्मक शेष राशि है जहाँ ऋणात्मक शेष राशि नहीं होनी चाहिए।

31 मार्च 2025 को ऋण, जमा और प्रेषण (डीडीआर) के 8 शीर्षों²¹ के अंतर्गत कुल राशि ₹ 4,234.09 करोड़ प्रतिकूल शेष राशियाँ थी। ये प्रतिकूल शेष राशियाँ मुख्य रूप से नगर परिषदों/नगर पालिकाओं के कर्मचारियों के पेंशन कोष (₹ 4,219.11 करोड़) के अंतर्गत थीं।

राज्य सरकार के पास मुख्य शीर्ष 8011-बीमा एवं पेंशन निधि-106-अन्य बीमा एवं पेंशन निधि-02 नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं के कर्मचारियों की पेंशन निधि के अंतर्गत ₹ 4,219.11 करोड़ का प्रतिकूल शेष है। इस निधि में नगर परिषदों/नगर पालिकाओं के कर्मचारियों का अंशदान होता है। अतः यह एक स्व-पोषित निधि है। इस शीर्ष के अंतर्गत व्यय नगर परिषदों/नगर पालिकाओं के कर्मचारियों को मासिक पेंशन के भुगतान के लिए किया गया था। सरकार ने उक्त शीर्ष के अंतर्गत वर्ष के दौरान ₹ 766.48 करोड़ का व्यय

19. रक्षा लेखा नियंत्रक

20. दक्षिणी कमान

21. विकित्सा एवं जन स्वास्थ्य के लिए ऋण: ₹ 0.36 लाख; खाद्य भंडारण एवं भंडारण (ग्रामीण क्षेत्रों में गोदाम) के लिए ऋण: ₹ 0.02 करोड़; बीमा एवं पेंशन निधि: ₹ 4219.11 करोड़; नागरिक जमा (बिजली कंपनियाँ): ₹ 9.27 करोड़; स्थानीय निधि (ग्राम पंचायत निधि) की जमा राशि: ₹ 0.03 करोड़; सहकारिता के लिए ऋण (राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड): ₹ 0.09 करोड़; सरकारी कर्मचारियों (मोटर वाहन आदि) को ऋण: ₹ 2.67 करोड़; आपराधिक न्यायालयों की जमा राशि: ₹ 2.90 करोड़।

किया, जबकि इसी अवधि में इस निधि में प्राप्तियाँ ₹ 284.52 करोड़ थीं। यह अंतर आस्थगित अनुदान सहायता के रूप में था और इस प्रकार राजस्व व्यय का कम मूल्यांकन किया गया। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि राज्य सरकार ने राज्य बजट में इस शीर्ष के लिए ऋणात्मक प्रावधान किए थे। जिलावार प्रतिकूल शेष **परिशिष्ट 3.7** में दिया गया है जो यह दर्शाता है कि उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि इस निधि के अंतर्गत विभिन्न कोषागारों में अपर्याप्त शेष राशि की समायोजन अन्य कोषागारों में उपलब्ध अतिरिक्त निधि से की गई है।

इस मामले को महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय के माध्यम से, संयुक्त सचिव, राज्य बीमा और भविष्य निधि, राजस्थान, जयपुर और कोषागारों के साथ (नवंबर 2024 और फरवरी 2025 में) उठाया गया है। निकास बैठक में, वित्त सचिव ने तथ्यों को स्वीकार किया और बकाया शेषों के निपटान का आश्वासन दिया।

इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया राशियों का निपटारा न होने से, सार्वजनिक खाते की शुद्ध राशियों की सटीकता उस सीमा तक प्रभावित होती है।

3.9 विभागीय आंकड़ों का मिलान

आँकड़ों का मिलान और सत्यापन वित्तीय प्रबन्धन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो प्राप्तियों और व्ययों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण और गलत प्रविष्टियों को दर्ज होने से रोकता है। सावि एवं लेनि के नियम 11 (3) के अनुसार, सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को राजस्थान सरकार की प्राप्तियों और व्ययों के आँकड़ों का महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान द्वारा लेखाबद्ध आँकड़ों से मिलान करना चाहिए।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा ₹ 2,27,250.02 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों का 100 प्रतिशत) की राजस्व प्राप्तियों, ₹ 2,69,200.06 करोड़ (कुल राजस्व व्यय का 100 प्रतिशत) के राजस्व व्यय तथा ₹ 30,726.64 करोड़ (कुल पूंजीगत व्यय का 100 प्रतिशत) के पूंजीगत व्यय का मिलान किया गया। राज्य सरकार द्वारा दिए गए ₹ 267.34 करोड़ (राज्य सरकार द्वारा दिए गए कुल ऋणों तथा अग्रिमों का 100 प्रतिशत) के ऋणों तथा अग्रिमों का भी मिलान किया गया।

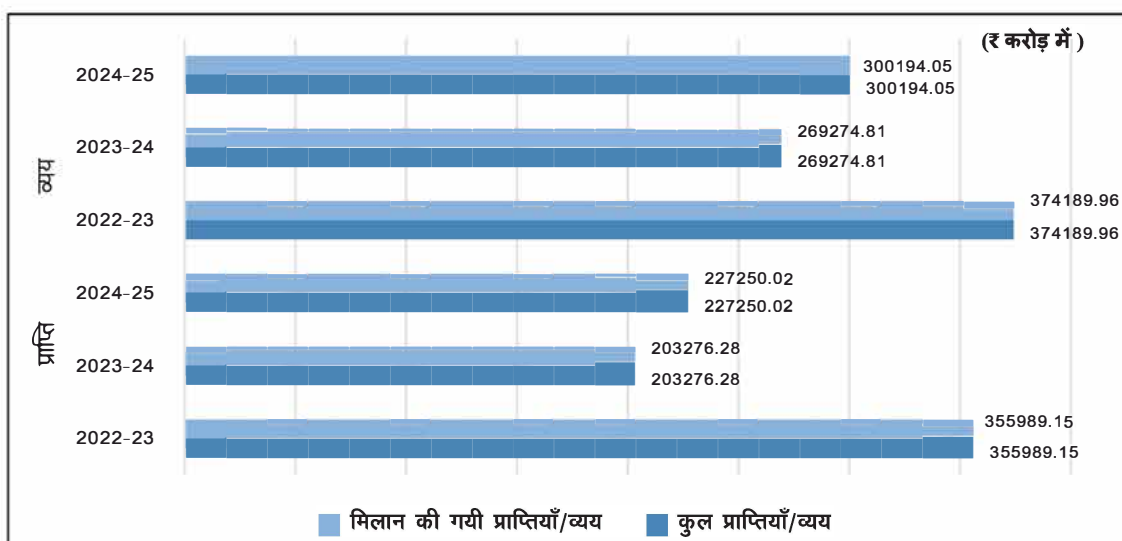
नियंत्रण अधिकारियों द्वारा आंकड़ों के मिलान की स्थिति तालिका एवं चार्ट में दी गई है।

तालिका 3.27: नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों तथा व्यय के मिलान की स्थिति

वर्ष	नियंत्रण अधिकारियों की कुल संख्या	नियंत्रण अधिकारियों की संख्या जिन्होंने अपनी प्राप्तियों/व्यय का मिलान किया		
		पूर्णतः मिलान किया गया	आंशिक मिलान किया गया	मिलान नहीं किया गया
प्राप्तियाँ				
2022-23	177	177	-	-
2023-24	196	196	-	-
2024-25	195	195	-	-
व्यय				
2022-23	428	428	-	-
2023-24	484	484	-	-
2024-25	486	486	-	-

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय द्वारा संधारित सूचना।

चार्ट 3.3: वर्ष के दौरान प्राप्तियों तथा व्यय के मिलान की स्थिति



स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय द्वारा संधारित सूचना।

जैसा कि ऊपर दिए गए चार्ट से देखा जा सकता है, पिछले पाँच वर्षों के दौरान, राज्य सरकार व्यय और प्राप्तियों का 100 प्रतिशत मिलान करने में सफल रही।

3.10 नगद शेषों का मिलान

राजस्थान के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) के लेखों के अनुसार, 31 मार्च 2025 को राज्य सरकार का नकद शेष ₹ 18.75 करोड़ (डेबिट) था, जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसे ₹ 16.86 करोड़ (क्रेडिट) बताया गया था। इस प्रकार, ₹ 1.89 करोड़ (क्रेडिट) का असंगत अंतर था, जिसका राजस्थान के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) तथा राज्य सरकार (कोषागार/भारतीय रिज़र्व बैंक/एजेंट बैंक) के बीच मिलान किया जा रहा था। यह अंतर मिलान प्रक्रियाधीन है। जुलाई 2025 तक मात्र सत्रह हजार पाँच सौ इकतालीस रुपये का अंतर था।

राज्य में भुगतान हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक की ई-कुबेर प्रणाली 2.0 को राज्य एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) के साथ एकीकृत करने के बाद, दर्ज किए गए लेन-देनों में अंतर बढ़ गया है, क्योंकि राज्य एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की रिपोर्ट लेन-देन की तिथि के आधार पर होती है, जबकि ई-कुबेर प्रणाली लेन-देनों की रिपोर्ट निपटान तिथि के आधार पर करती है।

प्रकटीकरण से संबंधित मामले

3.11 लेखांकन मानकों की अनुपालना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की सलाह पर, केंद्र तथा राज्यों के लेखा-जोखों का प्रारूप निर्धारित कर सकते हैं। सीएजी की सलाह पर, भारत के राष्ट्रपति ने अब तक चार भारतीय सरकारी लेखा मानक (आईजीएस) अधिसूचित किए हैं। राज्य सरकार द्वारा इन लेखा मानकों का अनुपालन और वर्ष 2024-25 के दौरान इनमें पाई गई कमियों का विस्तृत विवरण तालिका 3.28 में दिया गया है।

तालिका 3.28: लेखांकन मानकों का अनुपालन

क्र. सं.	लेखांकन मानक	आईजीएस का सार	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	कमी
1.	आईजीएस-1 सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियां-प्रकटीकरण की आवश्यकताएं	यह मानक सरकार से अपेक्षा करता है कि वह अपने वित्तीय विवरणों में वर्ष के दौरान दी गई प्रत्याभूति (वर्ग या क्षेत्र-वार) की अधिकतम राशि के साथ-साथ वर्ष के प्रारंभ और अन्त में परिवर्धन, विलोपन, लागू, निर्वहन और बकाया, अनुदानकर्ता कमीशन और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों का प्रकटीकरण करें।	पूर्ण अनुपालन की गई	शून्य
2.	आईजीएस-2 सहाय्यता अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण	सहाय्यता अनुदान को अनुदानदाता के लेखों में राजस्व व्यय और अनुदानग्राही के लेखों में राजस्व प्राप्ति के रूप में अंतिम उपयोग पर विचार किए बिना वर्गीकृत करना चाहिए। वस्तु के रूप में दिए गए सहाय्यता अनुदान का प्रकटीकरण किया जाना आवश्यक है।	आंशिक रूप से अनुपालन किया गया। राज्य सरकार द्वारा नकद में दी गई अनुदान सहाय्यता के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है।	सरकार द्वारा वस्तु स्वरूप दी गई अनुदान सहाय्यता का खुलासा नहीं किया गया। अतः, अनुदान प्रदानकर्ता द्वारा दी गई कुल सहाय्यता अनुदान का पता नहीं लगाया जा सका।
3.	आईजीएस-3: सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम	यह सरकार द्वारा अपने वित्तीय विवरणों में दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों के संबंध में मान्यता, माप तथा मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग से संबंधित है ताकि पूर्ण, सटीक और एकसमान लेखांकन प्रथाओं को सुनिश्चित किया जा सके और सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों के बारे में पर्याप्त जानकारी का खुलासा सुनिश्चित किया जा सके।	आंशिक रूप से अनुपालन किया गया।	अन्य ऋणी संस्थाओं से बकाया भुगतान के संबंध में विवरण, कई मामलों में प्राप्त ब्याज का विभाजन और राजस्व में जमा ब्याज, 'प्रकटीकरण - ऐसे ऋणों के मामले जिन्हें अनिश्चित काल के लिए स्वीकृत किया गया है, सरकार द्वारा ऐसे ऋण दिए गए हैं जिनके नियम और शर्तें अभी तय नहीं हुई हैं, उन ऋणी संस्थाओं को वर्ष के दौरान दिए गए नए ऋण और अग्रिम जिनसे पहले के बकाया ऋणों का भुगतान नहीं हुआ है, वर्ष के दौरान दिए गए नए ऋणों और अग्रिमों के संबंध में नियम और शर्तें (ब्याज दर और मोहलत अवधि) जिन्हें वित्त साते में दर्ज नहीं किया गया था।
4.	आईजीएस-4: पूर्व अवधि का समायोजन	इस मानक का उद्देश्य लेखांकन की नकद पद्धति के तहत, एक बार पहचान की गई त्रुटियों सहित पूर्व अवधि के समायोजनों को वर्तमान अवधि (वित्तीय वर्ष) में प्रस्तुत करने एवं प्रकट करने का तरीका निर्धारित करना है।	अनुपालन किया गया। वर्ष के दौरान, कुल ₹ 11,872.29 करोड़ के बैंक टू बैंक ऋण में से, जीएसटी मुआवजे के बदले इस ऋण के पुनर्भुगतान के लिए राज्य साते में ₹ 3,353.38 करोड़ का प्रोफोर्मा संशोधन पारित किया गया, जिससे ऋण शेष घटकर ₹ 8,518.91 करोड़ हो गया।	-

राज्य सरकार को उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

अन्य मामले

3.12 स्वायत्त निकायों के लेखों का प्रस्तुतीकरण

राज्य में 45 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों²² के लेखापरीक्षा का कार्य सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) और 20 (1) के अंतर्गत सीएजी को सौंपा गया है। 30 जून 2025 तक, केम्पा के

22 राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड; राजस्थान राज्य मानवधिकार आयोग; राजस्थान भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बीओसीडबल्यू) जयपुर, राजस्थान विद्युत नियामक आयोग; राजस्थान रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (आरईआरए); राज्य क्षतिपूर्ति वनीकरण प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (सीएमपीए); राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, राजस्थान राज्य विधि सेवा प्राधिकरण (02) और जिला विधि सेवा प्राधिकरण (36)।

2018-19 से 2024-25 तक के लेखों, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू) के 2018-19 से 2024-25 तक के लेखों और राजस्थान रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण(रेरा), जयपुर के 2024-25 के लेखों के अलावा सभी 45 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लेखे 2023-24 तक प्राप्त हो चुके हैं शेष स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के 2024-25 के लेखे बकाया हैं।

लेखापरीक्षा कार्य सौंपने, लेखापरीक्षा को लेखे प्रस्तुत करने, पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करने और विधानमंडल में प्रस्तुत करने की स्थिति **परिशिष्ट 3. 8** में दर्शाई गई है। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के मामले में प्रतिकूल राय दी गई, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 3.29: प्रतिकूल राय के मामले

निकाय/प्राधिकरण	प्रदान गई राय का प्रकार	कारण
राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड 2022-23	सही तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं	व्यय की तुलना में आय की अधिकता (अधिशेष) को ₹ 88.28 लाख से अधिक दर्शाया गया है, जिसके कारण लेखे में दर्शाए गए ₹ 50.54 लाख के अधिशेष को ₹ 37.74 लाख के घाटे में परिवर्तित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, परिसंपत्तियों को भी ₹ 88.28 लाख से अधिक दर्शाया गया है। पिछले अनुच्छेद में हमारे अवलोकन के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में वर्णित बैलेंस शीट, प्राप्ति एवं भुगतान लेखा तथा आय एवं व्यय खाता लेखा पुस्तकों से मेल खाते हैं। हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण, लेखा नीतियों और लेखा संबंधी टिप्पणियों तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक-1 में उल्लिखित मामलों के साथ मिलकर, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं करते हैं।

इसके अतिरिक्त, सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा के दायरे में आने वाली संस्थाओं की पहचान करने के लिए, सरकार/विभाग प्रमुखों को प्रत्येक वर्ष के लिए विभिन्न संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता, सहायता प्रदान करने का उद्देश्य तथा संस्थाओं के कुल व्यय के बारे में विस्तृत जानकारी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

मार्च 2025 को, 44 ऐसे स्वायत्त निकाय थे जिन्हें राज्य की समेकित निधि से अनुदान या ऋण के माध्यम से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किया जाता था। इन सभी 44 स्वायत्त निकायों पर लेखापरीक्षा अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा लागू होती है। इसके अतिरिक्त, 44 में से 29 स्वायत्त निकायों के 61 वार्षिक लेखे, जो लेखापरीक्षा अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अनुसार 2024-25 तक बकाया थे, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1), राजस्थान के कार्यालय को 30 जून 2025 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

जिन 44 स्वायत्त निकायों ने लेखे प्रस्तुत नहीं किए हैं, उनका विवरण **परिशिष्ट 3.9** में दिखाया गया है तथा आयुवार लंबित मामलों की जानकारी नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका: 3.30: सरकारी निकायों के बकाया वार्षिक लेखों का आयुवार विवरण

क्र. सं.	बकाया (वर्षों में)	निकायों/प्राधिकरणों की संख्या (लेखों की संख्या)
1.	एक वर्ष तक	12 (12)
2.	2-3 वर्ष	12 (28)
3.	4 वर्ष और अधिक	05 (21)

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि पाँच स्वायत्त निकायों के इक्कीस लेखे चार वर्ष और उससे अधिक समय से बकाया थे। वार्षिक लेखों के अभाव में, इन निकायों/प्राधिकरणों को वितरित अनुदानों तथा ऋणों के लेखांकन/उपयोग का सत्यापन लेखापरीक्षा द्वारा नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा हेतु लेखे प्रस्तुत करने में देरी राज्य सरकार द्वारा कमजोर आंतरिक नियंत्रण तथा अपर्याप्त निगरानी के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि के लिए इन स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों की जवाबदेही की कमी को दर्शाती है। लेखों का प्रस्तुत न किया जाना राज्य सरकार द्वारा कमजोर आंतरिक नियंत्रणों और अपर्याप्त निगरानी को दर्शाता है, तथा इससे निधियों के दुरुपयोग का जोखिम बढ़ जाता है।

3.13 दुर्विनियोजन, हानि, चोरी इत्यादि

सामान्य वित्तीय और लेखा नियम भाग-I के नियम 20 के अनुसार, किसी भी कोषालय या अन्य कार्यालय या अन्य विभाग में गबन, धोखाधड़ी से निकासी/भुगतान, हानि आदि के कारण या अन्य किसी कारण से हुई सार्वजनिक धन, विभागीय राजस्व, प्राप्तियों, टिकटों, भंडार या सरकार द्वारा या सरकार की ओर से रखी गई अन्य सम्पत्ति की हानि ज्ञात होने पर संबंधित अधिकारी को इसकी सूचना तुरन्त अगले उच्च प्राधिकारी के साथ-साथ प्रधान महालेखाकार को देनी होगी।

राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में सरकारी धन के दुर्विनियोजन/गबन (333) और चोरी/हानि (432) के 765 मामले दर्ज किए, जिनकी कुल राशि ₹ 152.08 करोड़ 31 मार्च 2025 तक लंबित थी। विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 3.31: दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लंबित मामले

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	दुर्विनियोजन/हानि/चोरी के मामले		धन के दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि से संबंधित लंबित मामलों के अंतिम निपटारे में देरी के कारण					
			विभागीय तथा आपराधिक जांच का इंतजार है		विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है लेकिन अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है (वसूली/माफी के आदेश की प्रतीक्षा है)		आपराधिक/न्यायिक कार्यवाही पूरी हो चुकी है लेकिन राशि की वसूली लंबित होने के कारण बकाया है	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
शिक्षा विभाग	129	58.74	44	6.31	45	8.03	40	44.40
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग	157	28.72	136	25.82	19	2.39	2	0.50
राजस्व विभाग	62	13.68	40	4.82	9	3.29	13	5.56
अन्य विभाग	119	28.40	48	16.85	41	8.73	30	2.83
लोक निर्माण विभाग	229	9.53	54	4.48	155	2.54	20	2.51
चिकित्सा विभाग	58	9.10	35	6.48	5	0.93	18	1.71
स्वायत्त शासन विभाग	11	3.91	3	0.06	3	3.47	5	0.37
योग	765	152.08	360	64.82	277	29.38	128	57.88

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि संबंधित विभागों ने लंबित मामलों में से लगभग 47 प्रतिशत (360) में विभागीय तथा आपराधिक जांच पूरी नहीं की है। 765 मामलों में से 277 मामले, जिनकी राशि ₹ 29.38 करोड़ है, वसूली/माफी के लंबित आदेशों के कारण लंबित हैं तथा शेष मामले विभागीय कार्रवाई तथा न्यायिक कार्यवाही के अभाव में लंबित हैं।

लंबित मामलों की आयु-आधारित सूची तथा चोरी/हानि एवं गबन/दुर्विनियोजन की प्रत्येक श्रेणी में लंबित मामलों की संख्या तालिका 3.32 में संक्षेप में दी गई है।

तालिका 3.32: दुर्विनियोजन, हानि, गबन आदि का विवरण

(₹ करोड़ में)

लंबित मामलों की आयु-आधारित सूची			लंबित मामलों की प्रकृति		
सीमा (वर्षों में)	मामलों की संख्या	निहित राशि	मामलों की प्रकृति	मामलों की संख्या	निहित राशि
0-5 (2020-21 से 2024-25)	142	34.96	चोरी/हानि	75	2.30
			गबन	67	32.66
5-10 (2015-16 से 2019-20)	150	71.50	चोरी/हानि	103	11.84
			गबन	47	59.66
10 से उपर (2014-15 तक)	473	45.62	चोरी/हानि	254	7.29
			गबन	219	38.33
योग	765	152.08	चोरी/हानि	432	21.43
			गबन	333	130.65

432 मामलों में से, 1987-88 से 2000-01 तक ₹ 1.60 करोड़ की चोरी/हानि के 98 मामले लंबित हैं तथा इसी प्रकार 333 मामलों में से, 1974-75 से 2000-01 तक के ₹ 6.74 करोड़ के गबन के 74 मामले लंबित हैं। इससे पता चलता है कि संबंधित विभागों ने समय पर जांच पूरी करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई नहीं की है।

लंबित गबन के मामलों के विस्तृत विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि ये गबन के मामले अधिकतर रोकड़ पुस्तिका में जालसाजी, स्टोर में रखे स्टॉक में गड़बड़ी, जाली बिल/चेक द्वारा भुगतान/निकासी, सरकारी धन का बैंक/कोषागार में जमा नहीं करने, करों का संग्रह करके सरकारी कोषागार/बैंक में जमा नहीं किया जाना, सरकारी धन जमा करने के लिए उपयोग किए गए चालानों में गलत राशि दिखाकर जालसाजी, रोकड़ पुस्तिका में प्रारंभिक शेष को कम दिखाया जाना, रोकड़ पुस्तिका में अधिक निकासी/भुगतान दिखाया जाना आदि से संबंधित हैं। चोरी के मामले स्टॉक/भंडार/वाहनों, वाहनों के पुर्जों, नकदी, मशीनरी और उपकरणों आदि की चोरी से संबंधित थे।

इससे पता चलता है कि संबंधित विभाग द्वारा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी नहीं बरती गई, जिसके परिणामस्वरूप अंततः सरकारी स्वजाने को वित्तीय नुकसान हुआ।

राज्य सरकार ने पीएसी को अवगत कराया (अक्टूबर-नवंबर 2025) कि विभाग द्वारा लंबित मामलों के निपटान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

3.14 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

वर्ष 2023-24 के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएफएआर) को 4 सितंबर 2025 को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया गया था। लोक लेखा समिति ने अब तक वर्ष 2018-19 (मार्च 2025) तक के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा की है और सिफारिशें दी हैं। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 की अवधि के दौरान, जनलेखा समिति ने वर्ष 2019-20 के प्रतिवेदन के एक अनुच्छेद पर आंशिक रूप से चर्चा की। वर्तमान में वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 तथा 2023-24 के प्रतिवेदनों से संबंधित 31 अनुच्छेद चर्चा/प्रतिवेदन लेखन के लिए लंबित हैं। ये अनुच्छेद अनुपूरक बजट और अवसर लागत, बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाओं और उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक वित्तपोषण,

चयनित अनुदानों की समीक्षा, स्थानीय निधियों की जमाएं, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में देरी, निजी निक्षेप खाते, स्वायत्त निकायों, विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों/निगमों/कंपनियों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण, दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि, पेंशन का अधिक/कम भुगतान, उपकर/अधिभार का संग्रह, 2022-23 के दौरान नियमितीकरण की आवश्यकता वाले प्रावधान से अधिक व्यय, चाइल्ड बजट. 2023-24 के दौरान नियमितीकरण की आवश्यकता वाले प्रावधान से अधिक खर्च और सारांशित आकस्मिक बिल आदि से संबंधित हैं।

एसएफएआर वर्ष 2023-24 से संबंधित अनुच्छेदों पर 11 ए.टी.एन 31 विभागों से प्राप्त हुए। एसएफएआर वर्ष 2022-23 से संबंधित अनुच्छेदों पर 6 ए.टी.एन. 6 विभागों से तथा एसएफएआर वर्ष 2021-22 से संबंधित अनुच्छेदों पर चार अनुच्छेद दो विभागों से नवम्बर 2025 तक लंबित है।

3.15 निष्कर्ष

निर्धारित अवधि के भीतर ₹ 427.34 करोड़ के 449 उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा न करना कमजोर वित्तीय जवाबदेही तंत्र का संकेत है। 'अन्य' प्रकार के संस्थानों को सहायतार्थ अनुदान (जीआईए) राज्य के कुल अनुदान और कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो लेखों की पारदर्शिता और जीआईए के उपयोग की निगरानी पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

वित्तीय वर्ष के अंत में निजी निक्षेप खातों में बड़ी रकम जमा करते रहने से खर्च पर विधायी निगरानी कमजोर होती है, क्योंकि ऐसी शेष राशियाँ समाप्त नहीं होतीं और सामान्य बजटीय प्रक्रिया से बाहर रहती हैं। नियम 260(1) के तहत समय-समय पर समीक्षा और कड़े औचित्य के अभाव में, ऐसी प्रथाएँ पारदर्शिता और राजकोषीय अनुशासन को कमजोर कर सकती हैं।

पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के बाद भी आकस्मिक बिलों का असमायोजित रहना विभागों के साथ ही कोषालयों द्वारा निगरानी की कमी को दर्शाता है।

स्थानीय निधियों में बड़ी मात्रा में शेष राशि का लगातार जमा रहना, व्यय नियोजन को सुदृढ़ करने तथा निर्धारित विकासात्मक उद्देश्यों हेतु निधियों के समय पर उपयोग की गुंजाइश को दर्शाता है। चूंकि इन निधियों में वित्त आयोगों से प्राप्त अनुदान तथा विकेंद्रीकृत शासन हेतु अभिप्रेत स्थानीय राजस्व शामिल होते हैं, अतः व्यय में विलंब अथवा असंतुलित व्यय स्थानीय सेवाओं के वितरण को प्रभावित कर सकता है।

लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/प्राप्तियाँ के अंतर्गत बड़ी राशियों की बुकिंग, वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है और आवंटन प्राथमिकताओं तथा व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को विकृत करती है।

3.16 सकारात्मक पहलू

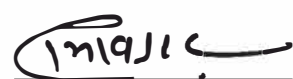
राज्य सरकार के बजट प्रबंधन के अच्छे पहलू निम्नलिखित हैं:

- सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों तथा व्यय का 100 प्रतिशत मिलान।
- विभागों द्वारा लंबित पुराने आकस्मिक बिलों के निपटान में सुधार।

3.17 सिफारिशें

- राज्य सरकार को एक सख्त अनुश्रवण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभाग स्वीकृतियों और उपयोगिता प्रमाण पत्रों को समय पर जमा करने के संबंध में निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करें।
- वित्त विभाग सभी पीडी खातों की समीक्षा कर सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन पीडी खातों में अनावश्यक रूप से पड़ी सभी राशियाँ तत्काल समेकित निधि में जमा कर दी जाएँ। इसके अतिरिक्त, सभी पीडी खातों के लिए योजना-वार लेजर भी रखा जाना चाहिए।
- राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं और नगर निगम निधियों के समय पर उपयोग के लिए एक तंत्र स्थापित करने और बंद योजनाओं की अप्रयुक्त शेष राशि को संबंधित राजस्व मदों में जमा करने की आवश्यकता है, साथ ही ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में रस्सी शेष राशि की निगरानी भी करनी चाहिए।
- वित्त विभाग को वर्तमान में लघु शीर्ष '800' के अंतर्गत आने वाले सभी शीर्षों की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी प्राप्तियों और व्यय को यथासंभव उपयुक्त लेखा शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया जाए।

जयपुर,
23 अप्रैल, 2026



(रामावतार शर्मा)
महालेखाकार(लेखापरीक्षा-1)
राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली,
30 अप्रैल, 2026



(के.संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक